इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जून 2017— आषाढ़ 6, शक 1939

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2017

एफ. 12-04-2016-सत्रह-मेडि-3 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)
समूह "ग" – परिचर्या सेवाएं

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक, नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं)	1	प्रथम श्रेणी	पी.बी.–3 15600–39100 + ग्रेड पे 7000
2	उप संचालक, नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	7	"	पी.बी.–3 15600–39100 + ग्रेड पे 6600
3	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.)	53	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.–3 15600–39100 + ग्रेड पे 5400
4	प्राचार्य–लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01)/प्राचार्य–जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (15)	16	–तदैव–	पी.बी.–3 15600–39100 + ग्रेड पे 5400
5	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड–2	51	–तदैव–	पी.बी.–3 15600–39100 + ग्रेड पे 5400
6	प्राचार्य–एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/प्राचार्य–महिला स्वास्थ्य कर्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (22)/उप प्राचार्य–जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	35	–तदैव–	पी.बी.–2 9300–34800 + ग्रेड पे 4200

टीप :– प्रत्येक जिले हेतु एक पद जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी(डी.पी.एच.एन.ओ.) (51 पद) का होगा एवं 02 पद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के नर्सिंग संभाग के लिए होंगे। संचालनालय में पदस्थ को सहायक संचालक (नर्सिंग) के पदनाम से जाना जायेगा।

"अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु.क्र.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा {नियम–6(1)(क) देखिये}	पदोन्नति द्वारा {नियम–6(1)(ख) देखिये}	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा {नियम– 6(1)(ग) देखिये}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संयुक्त संचालक, नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं–प्रथम श्रेणी	01	–	100 प्रतिशत	–	–

2	उप संचालक, नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	–तदैव–	07	–	100 प्रतिशत	–	–
3	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी. एच.एन.ओ.)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं–द्वितीय श्रेणी	53	25 %	75 प्रतिशत	–	–
4	प्राचार्य– लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01)/ प्राचार्य– जी.एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र (15)	–तदैव–	16	–	100 प्रतिशत	–	–
5	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड–दो	–तदैव–	51	–	100 प्रतिशत	–	–
6	प्राचार्य– एल.एच. व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य– महिला स्वाथ्य प्रशिक्षण केन्द्र (22)/उप प्राचार्य– जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	–तदैव–	35	–	100 प्रतिशत	–	–

अनुसूची –तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

समूह "ग" परिचर्या सेवायें

अनु. कमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.)	28 वर्ष	40 वर्ष	1. नर्सिंग सेवा में दस वर्ष का अनुभव(लो.स्वा.प.क. विभाग के अधीन) 2. एम.एससी. नर्सिंग/ बी.एससी. नर्सिंग के साथ अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन की उपाधि या पत्रोपाधि या लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित पाठ्यक्रम से स्नाकोत्तर डिप्लोमा।	

अनुसूची–चार
(नियम 13 तथा 14 देखिए)

पदोन्नति के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

समूह "ग" परिचर्या सेवाऐं

अनु. कमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद का जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं, यदि कोई हो तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप संचालक, नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्तर के लिए 1 पद)	संयुक्त संचालक, नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं)	पॉच वर्ष अनुभव	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य – अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं – सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले समकक्ष एक अधिकारी – सदस्य
2.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड–2/प्राचार्य–लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर/ प्राचार्य– जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	उपसंचालक, नर्सिंग	1. वर्तमान पद पर पॉच वर्ष अनुभव। 2. एम.एससी. नर्सिंग/बी.एससी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव
3	प्राचार्य; एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र श्रेणी–2/उप प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर/ प्राचार्य–जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	1 वर्तमान पद पर पॉच वर्ष अनुभव .2. एम.एससी.नर्सिंग/ बी.एससी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव
4	(क) प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्ररिक्षण केन्द्र (द्वितीय श्रेणी) / उप प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (ख) सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी(डी.पी.एच. एन.ओ)	1.पॉच वर्ष सेवा अनुभव (कालम–2 में अंकित समूह 'क' के लिए)। 2. 10 वर्ष का अनुभव (कालम–2 में अंकित समूह 'ख' के लिए)। शैक्षणिक योग्यता :– एम.एस.सी. नर्सिंग/ बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में पी.जी. डिप्लोमा	तदैव
5	मेट्रन	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड–2	1. वर्तमान पद पर पॉच वर्ष अनुभव 2. एम.एससी.नर्सिंग/ बी.एससी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव
6.	सिस्टर ट्यूटर	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र /प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, /उप प्राचार्य– जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	1. वर्तमान पद पर पॉच वर्ष अनुभव 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/ बी.एससी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव

F 12-04/2016/17/M-3 :: In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I
(See rule 5)
Classification, Scale of pay, and Number of Posts included in the Service
Group – "C" - Nursing Services

S. No.	Name of posts included in service	Number of posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joint Director, Nursing (Directorate of Health Services)	1	Class I	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 7600
2.	Deputy Director, Nursing (01 post for each Regional health office)	7	-Do-	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 6600
3.	District Public Health Nurse Officer	53	Class - II	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 5400
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01)/ Principal, General Nursing Midwife Training Centre (15)	16	-Do-	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 5400
5.	Nursing Superintendent, Grade – II	51	-Do-	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 5400
6.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Health Training Centre (22)/ Vice-Principal, General Nursing Midwife Training Centre (12)	35	-Do-	P.B.-2 9300-34800 + Grade Pay 4200

Note:- One post of District Public Health Nurse officer` shall be for each district (51 posts) and 2 posts shall be for Nursing Division of Directorate of Health service. Posted in directorate shall be known by the name of Assistant Director (Nursing)

SCHEDULE-II
(see rule 6)
Method of Recruitment
Group - "C" - Nursing Service

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of Number of duty post to be filled up			Remark
				By Direct Recruitment [see rule 6 (1) (a)]	By Promotion [see rule 6 (1) (b)]	By Transfer of persons from other services [see rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joint Director, Nursing (Directorate of Health Services)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services, Class I	1	-	100%	-	-
2.	Deputy Director, Nursing (01 post of each Regional health office)	-Do-	7	-	100%	-	-
3.	District Public Health Nurse Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services,Class II	53	25%	75%	-	-
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01) / Principal, General Nursing Midwife Training Centre (15)	-Do-	16	-	100%	-	-
5.	Nursing Superintendent, Grade – II	-Do-	51	-	100%	-	-
6.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Health Training Centre (22)/ Vice-Principal, General Nursing Midwife Training Centre (12)	-Do-	35	-	100%	-	-

SCHEDULE-III
(see rule 8)
Age and Qualification of persons for direct recruitment
Group - "C" - Nursing Services

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	District Public Health Nurse Officer	28 years	40 years	1. Ten years experience in Nursing Services (Under the Public Health and Family Welfare Department) 2. M.Sc. Nursing /B.Sc. Nursing with Degree or Diploma of Hospital Management and Administration or Post Graduate Diploma in Public Health Management by a regular course.	-

SCHEDULE-IV

(See rule 13 and 14)

Service experience for promotion and Members of Departmental Promotion Committee

Group - "C" - Nursing Services

S.N.	Name of The post or Service from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Essential qualification, if any and other experience of the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director, Nursing, (01 post for each regional level)	Joint Director, Nursing, Directorate Health Services	Five years experience	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Member nominated by him Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services -Member 4. One officer of same status of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes - Member
2.	District Public Health Nurse Officer/ Nursing Superintendent Grade-2)/ Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior/Principal , GNM Training Centre	Deputy Director, Nursing (Division level)	1. Five years experience on the present post 2. MSc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	----Do----

3.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre / Principal, Female Health Worker Training Centre (II Class) / Vice-Principal, General Nursing Midwife Training Centre	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior/ Principal, General Nursing Midwife Training Centre	1- Five years experience on the present post 2- MSc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	----Do----
4.	(a) Principal, Lady Health Visitor training Centre/ Principal, Female Health WorkerTraining Centre Class-II/ Vice- Principal, General Nursing Midwife Training Centre (b) Sister Tutor (Class III)	District Public Health Nurse Officer	1-Five years experience on the present post (for category 'a' of Column No. 2) 2- 10 years experience (for category 'b' of Column No. 2) <u>Educational Qualification</u>- M.Sc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	----Do----
5.	Matron	Nursing Superintendent (Class II)	1.Five years experience on the present post 2. M.Sc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing Post/ Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	---Do---
6.	Sister Tutor	Principal, Lady Health Visitor Training Centre /Principal, Female Health Worker Training Centre / Vice-Principal, General Nursing Midwife Training Centre	1.Five years experience on the present post 2. M.Sc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	---Do---

एफ 12–04/2016/17/मेडि–3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची – एक, दो, तीन और चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

"अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)
वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान परिचारिका /मेट्रन (महिला)	303	तृतीय श्रेणी	पी.बी.–2 9300–34800 + 4200	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
2	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	720	तदैव	पी.बी.–2 9300–34800 + 3600	– तदैव –
3	नर्सिंग ब्रदर	51	तदैव	पी.बी.–2 9300–34800 + 3600	– तदैव –
4	सिस्टर शिक्षिका/सिस्टर ट्यूटर (महिला)	328	तदैव	पी.बी.–2 9300–34800 + 3600	– तदैव –
5	स्टाफ परिचारिका/स्टाफ नर्स (महिला)	10720	तदैव	पी.बी.–1 5200–20200 + 2800	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
6	पुरूष स्टॉफ नर्स	667	तदैव	पी.बी.–1 5200–20200 + 2800	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं

टिप्पणी :– 1. परिचारिका भर्ती नियम, 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त, महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी.एन.एम. प्रशिक्षित हैं एवं समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रहीं हैं, भी सम्मिलित हैं।

2. सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक एफ 2–6/1/वेआप्र/96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के अनुसार कॉलम (1) के अनुक्रमांक 1,2,4,5 में दर्शित पदों के कॉलम(5) में दर्शित वेतनमान दिनॉक 1.4.2006 से लागू माने जायेंगे।

3. शासन के परिपत्र क्र. एफ 26–6/85/17/मेडि–1 दिनांक 11 सितम्बर, 1985 के अनुसार नव नियुक्त डिप्लोमाधारी नर्सेस को तीन एवं डिग्रीधारी नर्सेस चार अग्रिम वेतनवृद्धि की हकदार होंगी।

4. पुरूष स्टाफ नर्स नियुक्ति केवल जिला चिकित्सालय में विशिष्ट रूप से चिन्हित क्षेत्रों (ट्रामा यूनिट, आर्थोपेडिक ऑपरेशन थियेटर, मेल आर्थोपेडिक वार्ड, मेल सर्जिकल वार्ड एवं आकस्मिक चिकित्सा इकाई संबंधित में पदस्थ किए जाएंगे। जिला चिकित्सालय में कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर ही पुरूष स्टाफ नर्स पदस्थ किए जाएंगे।

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रधान परिचारिका/मेट्रन (महिला)	303	–	100%	–	–
2	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	720	10%	90%	–	–
3	नर्सिंग ब्रदर	51	–	100%	–	–
4	सिस्टर शिक्षिका/सिस्टर ट्यूटर (महिला)	328	10%	90%		
5	स्टाफ परिचारिका/स्टाफ नर्स (महिला)	10720	90%	10% (विभागीय ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. द्वारा जी.एन.एम.प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात्)	–	
6	पुरूष स्टॉफ नर्स	667	100%	–	–	–

टिप्पणी :– विभागीय ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य परिदर्शक प्रशिक्षित उम्मीदवार (एल.एच.व्ही.) (हायर सेकेण्डरी– फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयलाजी से उत्तीर्ण) को जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् उम्मीदवार को स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर पदोन्नत किया जावेगा। विभागीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु इन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (सभी प्रवर्गो के लिए) होगी।

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनु क.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	25 वर्ष	45 वर्ष	1. एम0एससी0 नर्सिंग अथवा बी0एससी0 नर्सिंग अथवा पोस्टबेसिक बी0एससी0 नर्सिंग 2. स्टाफ परिचारिका पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव।	**संचालनालय स्तर की चयन समिति** 1. अपर/संयुक्त संचालक,–अध्यक्ष 2. उप संचालक (नर्सिंग) –सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी – सदस्य
2	सिस्टर शिक्षिका /सिस्टर ट्यूटर	25 वर्ष	45 वर्ष	1. एम0एससी0 नर्सिंग अथवा बी0एससी0 नर्सिंग अथवा पोस्टबेसिक बी0एससी0 नर्सिंग 2. स्टाफ परिचारिका के पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव।	–तदैव–
3	स्टाफ परिचारिका /स्टाफ नर्स (महिला)	21 वर्ष	45 वर्ष	1. बी0एससी0 (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षित। 2. 10+2 (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयोलाजी)	मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित बी.एससी. नर्सिंग महाविद्यालय / जी.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट क्रमानुसार काउन्सिलिंग के पश्चात् संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में आवंटन किया जाएगा।
4	पुरूष स्टॉफ नर्स	21 वर्ष	40 वर्ष	1. बी0एससी0 (नर्सिंग) 2. 10+2 (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलाजी)	प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पुरूष स्टाफ नर्स के चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभियार्थियों की संचालनालय स्तर पर मेरिट क्रमानुसार काउंसलिंग के पश्चात संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में आवंटन किया जायेगा।

नोट :–

1. सरल कं 1 और 2 पर अंकित कंमशः नर्सिंग सिस्टर एवं सिस्टर शिक्षिका के पद, सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे।
2. शासकीय चिकित्सालयों में, शासकीय बी.एससी नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय GNM प्रशिक्षण केन्द्र से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर सीधी भर्ती दी जाती है। यदि की संख्या रिक्त स्थानों से अधिक है तो केवल बी.एससी, नर्सिंग उम्मीदवार ही भरती किए जाएंगे तथा यदि बी.एससी नार्सिंग उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो जी.एनएम उत्तीर्ण नर्सिंग उम्मीदवारों को भरती किए जाएंगे।
3. शासकीय सेवा के लिए अभ्यर्थियों को परिचारिका/प्रसविका (मिडवाईफ) में महाकौशल नर्सिंग कौंसिल से पंजीकृत होना चाहिए।

अनुसूची--चार
(नियम 14 देखिये)
पदोन्नति की प्रणाली, अनुभव, अर्हताएं और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनु क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	अपेक्षित अनुभव एवं अर्हताएं	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	प्रधान परिचारिका (मेट्रन)	5 वर्ष	1. अपर/संयुक्त संचालक. – अध्यक्ष 2. उप संचालक(नर्सिंग) – सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी – सदस्य
2.	स्टाफ परिचारिका/स्टाफ नर्स (महिला) परिचारिका भर्ती नियम, 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त की गई महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी.एन.एम. प्रशिक्षित हैं तथा समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रहीं हैं, भी सम्मिलित है।	नर्सिंग सिस्टर	5 वर्ष (बी.एससी. नर्सिंग योग्यताधारी के लिए) 7 वर्ष (जी.एन.एम. योग्यताधारी के लिए)	–तदैव–
3	पुरूष स्टॉफ नर्स	नर्सिंग ब्रदर	10 वर्ष	–तदैव–
4.	स्टाफ परिचारिका/स्टाफ नर्स (महिला)	सिस्टर शिक्षिका /सिस्टर ट्यूटर (महिला)	1. 5 वर्ष (एम.एससी. नर्सिंग योग्यताधारी के लिए) 7 वर्ष (बी.एससी. नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग)	–तदैव–
5	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजीटर)/सहायक नर्स सह प्रसविका (एक्जलरी नर्स कम मिडवाईफ)	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	1. 5 वर्ष 2. विभागीय नर्सिंग और प्रसाविका प्रशिक्षित 3. हायर सेकेण्डरी(फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलॉजी)	–तदैव–

टिप्पणी :– उपरोक्त नर्सिंग संवर्ग में चयन तथा पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल परिचारिका/प्रसाविका (मिडवाईफ) में पंजीकृत होना चाहिए।

F 12-04/2016/17/M-3 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class III Nurses Service Recruitment Rules, 1989, namely :-

AMENDMENTS

In the said rule, for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedule shall be substituted, namely :-

``SCHEDULE-I``
(See Rules 5)
Classification, Scale of Pay and Number of Posts included in the Service

Sr. No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Matron (Female)	303	Class III	PB-2 9300-34800+ 4200	Director, Health Services
2.	Nursing Sister (Female)	720	-Do-	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
3.	Nursing Brother	51	-Do-	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
4.	Sister Tutor (Female)	328	-Do-	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
5.	Staff Nurse (Female)	10720	-Do-	PB-1 5200-20200+ 2800	Regional Director, Health Services
6.	Male Staff Nurse	667	-Do-	PB-1 5200-20200+ 2800	-do-

Note-1- The post of Lady Health Visitor appointed before the publication of Recruitment Rules, 1989, General Nursing trained before joining and carrying Identical scale are also included

2- As per order No. F 2-6/1/PCC/96 dated 5/17 October, 2006, of General Administration Department (Pay Commission Cell) Pay scale shown in column No. (5) of post shown in Serial No. 1,2,4,5 of column No. (1) deem to be applicable w.e.f. 1-4-06.

2- According to Govt. circular No. F 26-6/85/17/medi-1 dated 11 September 1985 the newly appointed diploma holder nurses are entitled for advanced three increment and degree holder nurses for four advanced increment on appointment.

3- Male staff Nurse will be posted only in district hospital in specially identified areas (Trauma unit, Orthopaedic operation theater, Male orthopaedic ward, Male surgical ward & Emergency medical unit). Male staff Nurse will be posted only on 10 percent of the total sanctioned post in the respective district hospital.

SCHEDULE-II
(See Rules 6)
Method of Recruitment

Sr. No.	Name of Post	Total No of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remark
			By Direct Recruitment (See Rule 6 (1) (a))	By Promotion (See Rule 6 (1) (b))	By Transfer of persons from other services (See Rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Matron (Female)	303	---	100%	---	---
2.	Nursing Sister (Female)	720	10%	90%	----	---
3.	Nursing Brother	51	---	100%	---	---
4.	Sister Tutor (Female)	328	10%	90%	----	---
5.	Staff Nurse (Female)	10720	90%	10% (Departmental Auxillary Nursing Midwife / Lady Health Visitor after General Nursing and Senior Midwife training)	----	---
6.	Staff Nurse (Male)	667	100%	---	---	---

Note - Departmental Auxillary Nursing Midwife and Lady Health Visitor trained candidates (Higher Secondary passed with Physics, Chemistry and Biology) shall be selected by the Department of Public Health and Family Welfare through limited departmental examination for training of General Nursing Midwifery. After passing the General Nursing Midwife examination the candidate shall be promoted for the vacant post of Staff Nurse. Maximum age limit for these candidates (for all categories) shall be 45 years for the Departmental General Nursing Midwife training.

SCHEDULE-III
(See Rules 8)
Age and qualification of persons to be appointed by direct recruitment

Sr. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nursing Sister (Female)	25 Years	45 Years	1. M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing or Post Basic B.Sc. Nursing 2. 5 Years Service experience on the post of Staff Nurse	**Directorate Level Selection Committee** 1. Additional/Joint Director, - **Chairman** 2. Deputy Director (Nursing) - **Member** 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other Backward classes - **Member**
2.	Sister Tutor	25 Years	45 Years	1. M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing or Post Basic B.Sc. Nursing 2. 5 Years Service experience on the post of Staff Nurse.	--do--

3.	Staff Nurse (Female)	21 Years	45 Years	1. B.Sc. (Nursing) or General Nursing and Senior Midwifery trained. 2. 10+2 (Physics, Chemistry and Biology)	**Selection Committee** Allotment shall be done by the Directorate of Health Services after Counselling of Candidates according to the merit after passing-out from B.Sc. Nursing Colleges/General Nursing Midwifery Training Schools run by the Government of Madhya Pradesh.
4.	Male Staff Nurse	21 Years	40 Years	1. B.Sc. (Nursing) 2. 10+2 (Physics, Chemistry and Biology)	The selection on the basis of merit list of the examination conducted by the Professional Examination Board for the Male Staff Nurse shall be done. Allotment of posting order shall be issued by the Directorate of Health Services purely on the basis of merit only.

Note- 1- Post of Nursing Sister and Sister Tutor mentioned on Serial No. 1 and 2 shall be filled by special departmental examination.

2- In Government Hospitals, candidate passed from Government B.Sc. Nursing College and Government General Nursing Midwifery Training Centre are given direct Recruitment to the vacant post of Staff Nurse. In case of number of trained candidates exceed the vacant seats, only the BSc. Nursing Candidates shall be recruited and in case if B.Sc Nursing candidates are not available General Nursing Midwife passed nursing candidates will be given recruitment.

3- For the Government services, candidate should be Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council.

SCHEDULE-IV
(See Rules 14)
Channel of promotion, experience, qualification and Member of Departmental Promotion Committee

Sr. No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Required experience and qualification	Name of the Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nursing Sister (Female)	Matron	Five Years	1. Additional/Joint Director - **Chairman** 2. Deputy Director(Nursing) - **Member** 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes - **Member**
2.	Staff Nurse (Female) The post of Lady Health Visitor appointed before the publication of Recruitment Rules, 1989, General Nursing trained before joining and carrying Identical scale are also included	Nursing Sister	5 years experience (for B.Sc Nursing) and 7 years experience (for G.N.M.)	- do -
3.	Male Staff Nurse	Nursing Brother	10 years	- do -
4.	Staff Nurse(Female)	Sister Tutor	5 years experience (for M.Sc Nursing) and 7 years experience e (for B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc Nursing)	- do -
5.	Lady Health Visitor/ Auxiliary Nurse Cum Midwife (2 years training passed)	Staff Nurse	1- 5 Years experience 2-Departemental Nursing and Midwife trained. 3- Higher secondary (Physics, Chemistry and Biology)	- do -

NOTE : For the recruitment and promotion in nursing cadre the candidate shall be registered Nurse / Registered Midwife with Madhya Pradesh Nurses Council.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल–1/2015 1834 भोपाल, दिनांक 1/12/2015

प्रति,

1. संचालक गैस राहत, एवं पुर्नवास विभाग म.प्र.।
2. संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, एवं पुर्नवास विभाग,भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
6. समस्त अधीक्षक क्षय चिकित्सालय म.प्र.।
7. समस्त ब्लॉक मेडीकल ऑफिसर म.प्र.।
8. प्राचार्य, बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन।
9. समस्त, प्राचार्य जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र म.प्र.।
10. समस्त, प्राचार्य ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र म.प्र.।

विषय :– लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती, 1989 में संशोधन्।

संर्दभः– शासन का पत्र क्रमांक एफ 3–5/2008 सत्रह/मेडि–1 दिनांक 17.11.2015

विषयान्तर्गत संर्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओ के अनुरूप संशोधन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में दिंनाक 23. अक्टूबर 2015 को प्रकाशित किया गया है। संशोधित तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, की "अनुसूची–एक" के अनुसार तृतीय श्रेणी नर्सिंग संवर्ग के पदों का वेतनमान एंव ग्रेड–पे, निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान परिचारिका (मेट्रन)	287	तृतीय श्रेणी	पी.बी–2 9300–34800+4200	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
2	नर्सिग सिस्टर	716	तदैव	पी.बी–2 9300–34800+3600	–तदैव–
3	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	322	तदैव	पी.बी–2 9300–34800+3600	–तदैव–
4	स्टॉफ परिचारिका (महिला स्टॉफ नर्स) परिचारिका भर्ती नियम 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त, महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी.एन.एम प्रशिक्षित है एंव समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रही है, भी सम्मिलित है।	8292	तदैव	पी.बी–1 5200–20200+2800	श्रेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें

H:\letter for H .docx

सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक एफ 2–6/1/वेआप्र/96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के अनुसार कॉलम (1) के अनुक्रमांक 1,2,3,4 मे दर्शित पदों के कॉलम (5) में दर्शित वेतनमान दिनांक 1.4.2006 से लागू माने जायेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन/अधीनस्त पदस्थ तृतीय श्रेणी नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों का वेतनमान एवं ग्रेड पे उपरोक्तानुसार लागू कर, नियमानुसार वेतन/ऐरियर्स के भुगतान संबंधी कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जावें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
O/C संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

पृ.क्र0 9/नर्सिंग/सेल–2/2015/1335 **भोपाल दिनांक 1/12/2015**
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय मुख्य सचिव म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन विधि एवं विधाई कार्य विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल।
5. आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र।
6. अपर संचालक वित्त स्थानीय कार्यालय म.प्र.।
7. एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. आदेश नस्ति।

संचालक (नर्सिंग)
O/C संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय

क्र 2008/सत्रह/मेडि--1 भोपाल, दिनांक 17/11/2015

प्रति,
आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.,
भोपाल।

विषयः—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में संशोधन करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में संशोधन का गजट नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसे www.govtpressmp.nic.in पर डाउनलोड किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है।

अतः भर्ती नियमों में संशोधन अनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक एफ 3—5/2008/सत्रह/मेडि—1 भोपाल, दिनांक /11/2015
प्रतिलिपि :—श्री सुरेन्द्र सिंह कौरव, प्रदेश अध्यक्ष, हेल्थ एण्ड मेडीकल एजुकेशन एम्पलाइज एसोसिएशन, कार्यालय एफ—2, जय प्रकाश चिकित्सालय, कैम्पस, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Rajkumar Leeler/2014

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015—कार्तिक 1, शक 1937

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-3-5-2008-सत्रह-मेडि-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन और चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)
वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान परिचारिका (मेट्रन)	287	तृतीय श्रेणी	पी.बी.–2 9300–34800 + 4200	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
2	नर्सिग सिस्टर	716	तदैव	पी.बी.–2 9300–34800 + 3600	– तदैव –
3	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	322	तदैव	पी.बी.–2 9300–34800 + 3600	– तदैव –
4	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स) परिचारिका भर्ती नियम 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त, महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी.एन.एम. प्रशिक्षित हैं एवं समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रहीं हैं, भी सम्मिलित है।	8292	तदैव	पी.बी.–1 5200–20200 + 2800	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

टिप्पणी– सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक एफ 2–6/1/वेआप्र/96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के अनुसार कॉलम (1) के अनुक्रमांक 1,2,3,4 में दर्शित पदों के कॉलम(5) में दर्शित वेतनमान दिनॉक 1.4.2006 से लागू माने जायेंगे।

अनुसूची--दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु. क.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मेट्रन	287	–	100%	–	–
2	नर्सिंग सिस्टर	716	5%	95%	–	–
3	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	322	10%	90%		
4	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	8292	90% प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर आवंटन से नियुक्ति	10% (विभागीय ए.एन.एम./ एल.एच.व्ही. द्वारा जी.एन. एम.प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात)	–	–

टिप्पणी :– सामान्यतया, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षित नर्सो को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त जब तक विभाग में ए.एन.एम. प्रशिक्षित (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (2 वर्ष या 10 मास का पाठ्यक्रम) , तथा हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यार्थी उपलब्ध हैं उन्हें क्रमशः ढाई वर्ष या 2 वर्ष का विभागीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण दिए जाने के पश्चात स्टाफ नर्स के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनु क.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नर्सिंग सिस्टर	25 वर्ष	45 वर्ष	1. एम0एस0सी0(नर्सिंग) अथवा 2. बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 3. पोस्टबेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 4. नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण–पत्रोतर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण साथ ही, (क) स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव। (ख) महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका अथवा पंजीकृत प्रसाविका(मिडवाईफ)।	**संचालनालय स्तर की चयन समिति** 1. अपर/संयुक्त संचालक,–**अध्यक्ष** 2. उप संचालक (नर्सिंग) –**सदस्य** 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी – **सदस्य**
2	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	25 वर्ष	45 वर्ष	1. एम0एस0सी0(नर्सिंग) अथवा 2. बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 3. पोस्टबेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 4. नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण–पत्रोतर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण साथ ही, (क) स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव। (ख) महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका अथवा पंजीकृत प्रसाविका(मिडवाईफ)।	–तदैव–
3	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	21 वर्ष	45 वर्ष	1. बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अथवा 2. जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षित,साथ ही महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका/पंजीकृत प्रसाविका (मिडवाईफ)	मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय/ जी.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की काउन्सिलिंग के पश्चात् संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा आवंटन किया जाएगा। **समिति निम्नानुसार होगी :–** 1. अपर/संयुक्त संचालक –**अध्यक्ष** 2. उप संचालक(नर्सिंग) – **सदस्य** 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी – **सदस्य**

अनुसूची--चार
(नियम 14 देखिये)
पदोन्नति की प्रणाली, अनुभव, अर्हताएं और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनु क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	अपेक्षित अनुभव एवं अर्हताएं	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नर्सिंग सिस्टर	प्रधान परिचारिका (मेट्रन)	पॉच वर्ष	**संचालनालय स्तरीय समिति** 1. अपर/संयुक्त संचालक, – **अध्यक्ष** 2. उप संचालक(नर्सिंग) – **सदस्य** 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी – **सदस्य**
2.	स्टाफ परिचारिक (महिला स्टाफ नर्स) परिचारिका भर्ती नियम 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त की गई महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी. एन.एम. प्रशिक्षित हैं तथा समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रहीं हैं, भी सम्मिलित है।	नर्सिंग सिस्टर	पॉच वर्ष	–तदैव–
3.	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	1. पॉच वर्ष 2. बी0एस0सी(नर्सिंग) या पोस्टबेसिक बी0एस0सी(नर्सिंग) या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण –पत्रोतर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। 3. महाकौशल नर्सिंग काउन्सिल में पंजीकृत परिचारिका(नर्स)/ पंजीकृत प्रसाविका (मिडवाइफ)	–तदैव–
4	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजीटर) /सहायक नर्स सह प्रसाविका (एक्जलरी नर्स कम मिडवाईफ) 2 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	1. पॉच वर्ष 2. विभागीय नर्सिंग और प्रसाविका प्रशिक्षित 3. पंजीकृत नर्स जो महाकौशल नर्सिंग परिषद् से पंजीकृत हो।	–तदैव–

F.No. 3-5/2008/XVII/M-1 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class III Nurses Service Recruitment rules, 1989, namely :-

AMENDMENTS

In the said rule, for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedule shall be substituted, namely :-

``SCHEDULE-I``
(See Rules 5)
Classification, Scale of Pay and Number of Posts included in Service

Sr. No.	Name of Posts included in the service	Number of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Matron	287	Class III	PB-2 9300-34800+ 4200	Director, Health Services
2	Nursing Sister	716	do	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
3	Sister Tutor	322	do	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
4	Staff Nurse(Female) Note - The post of Lady Health Visitor appointed before the publication of Recruitment Rules, 1989, General Nursing trained before joining & carrying Identical scale are also included	8292	do	PB-1 5200-20200+ 2800	Regional Director, Health Services

* Note - As per order No. F 2-6/1/PCC/96 dated 5/17 October, 2006, of General Administration Department (Pay Commission Cell) Pay scale shown in column No. (5) of post shown in Serial No. 1,2,3,4 of column No. (1) deem to be applicable w.e.f. 1-4-06.

SCHEDULE-II

(See Rules 6)
Method of Recruitment

Sr. No.	Name of Post	Total No of Duty Posts	Percentage of the Number of duty posts to be filled in			Remark
			By Direct Recruitment (See Rule 6 (1) (a))	By Promotion (See Rule 6 (1) (b))	By Transfer of persons from other services (See Rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Matron	287	---	100%	---	---
2	Nursing Sister	716	5%	95%	----	---
3	Sister Tutor	322	10%	90%	----	----
4	Staff Nurse (Female)	8292	90% Appointment by allotment on merit basis after passing the training	10% (Departmental ANM/LHV after GNM training)	----	---

Note - Generally, General Nursing Trained Nurses are appointed to the post of staff Nurse, In addition when ANM Trained (2 Years course)/LHV trained (2 Years or 10 months course) and Higher Secondary passed candidates shall be available in the department, then they shall be promoted to the post of Staff Nurses after they undergo departmental General Nursing Training of 2½ years or 2 years respectively.

SCHEDULE-III
(See Rules 8)
Age and Qualification of Persons to be Appointed by Direct Recruitment

Sr. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nursing Sister	25 Years	45 Years	1. M.Sc. (Nursing) or 2. B.Sc. (Nursing) or 3. Post Basic B.Sc. (Nursing) or 4. Post Certificate Course in Nursing Administration along with - (a) 5 Years Service experience on the post of Staff Nurse or equivalent post (b) Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council	**Directorate Level Selection Committee** 1. Additional/ Joint Director, - **Chairman** 2. Deputy Director (Nursing) - **Member** 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward classes - **Member**
2	Sister Tutor	25 Years	45 Years	1. M.Sc. (Nursing) or 2. B.Sc. (Nursing) or 3. Post Basic B.Sc. (Nursing) or 4. Post Certificate Course in Nursing Administration along with - (a) 5 Years Service experience on the post of Staff Nurse or equivalent post (b) Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council	--do--
3	Staff Nurse (Female)	21 Years	45 Years	1. B.Sc. (Nursing) or 2. General Nursing and Senior Midwifery trained along with Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council.	**Selection Committee** Allotment shall be done by Directorate of Health Services after Counselling of Candidates passing-out from B.Sc. Nursing colleges/GNM training schools run by Madhya Pradesh Government. Committee shall be as under :- 1. Additional/ Joint Director, - **Chairman** 2. Deputy Director (Nursing) - **Member** 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward classes - **Member**

SCHEDULE-IV
(See Rules 14)
Channel of Promotion, Experience, Qualification and Member of Departmental Promotion Committee

Sr. No.	Name of Post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Required Experience and Qualification	Name of the Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nursing Sister	Matron	Five Years	**Directorate Level Committee** 1. Additional/Joint Director - **Chairman** 2. Deputy Director(Nursing) - **Member** 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes - **Member**
2	Staff Nurse(Female) The post of Lady Health Visitor appointed before the publication of Recruitment Rules, 1989, General Nursing trained before joining & carrying Identical scale are also included	Nursing Sister	Five years	- do -
3	Staff Nurse(Female)	Sister Tutor	1. Five Years 2. B.Sc. (Nursing) or Post Basic B.Sc. (Nursing) or Post Certificate Course of Sister Tutor. 3.Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council	- do -
4	Lady Health Visitor/ Auxiliary Nurse Cum Midwife (2 years training passed)	Staff Nurse	1- 5 Years 2- Departemental Nursing and Midwifery trained. 3- Registered Nurse Registered with Mahakoshal Nursing Council	- do -

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूरज डामोर, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011—श्रावण 4, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2011

क्र. एफ. 3-12-2010-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची एक में, अनुक्रमांक 3 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 (क)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	7763	तृतीय श्रेणी	1290-1840	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें.

(2) अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 3 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 (क)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	7763	90 प्रतिशत (प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् गुणागुण के आधार पर आवंटन से नियुक्ति).	10 प्रतिशत	-	-

(3) अनुसूची तीन में, अनुक्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु क्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं एवं प्रशिक्षण	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	18 वर्ष (महिला अभ्यर्थी).	1. महिला अभ्यर्थी (सामान्य वर्ग) 35+10=45. 2. महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग) अजजा/अजा/अ.पि. वर्ग 35+10+5=50. 3. विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी (सामान्य वर्ग) 35+10+5=50. 4. विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग) अजजा/अजा/अ.पि. वर्ग 35+10+5+5=55.	(1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान के साथ 10+2 अवश्य होना चाहिए. (2) बी.एस.सी. स्नातक नर्सिंग डिप्लोमा. (3) उत्तीर्ण अभ्यर्थी, मध्यप्रदेश नर्सिंग परिषद् से आर.एन.आर.एम. [रजिस्ट्रीकृत नर्स तथा रजिस्ट्रीकृत दाई (मिडवाइफ)] में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है. शासकीय संस्था से प्रशिक्षित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में मान्यताप्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों/नर्सिंग महाविद्यालय से प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा. यदि मध्यप्रदेश राज्य के भीतर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तब अन्य राज्यों से बी.एस.सी. नर्सिंग/डिप्लोमा नर्सिंग प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए एक बार छूट दी जाएगी.".	

(4) अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 2, 3, 4 तथा 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव एवं योग्यता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	नर्सिंग सिस्टर/ हाउस कीपर.	5 वर्ष	**(क) संचालनालय स्तर—** 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग प्रशासन). -सदस्य [यदि वह वरिष्ठतम न हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य
3.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर).	1. 5 वर्ष 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग या पोस्ट बेसिक). 3. बी.एस.सी. (नर्सिंग या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम).	**(क) संचालनालय स्तर—** 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग प्रशासन). -सदस्य [यदि वह वरिष्ठतम न हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य
4.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	लोक स्वास्थ्य शिक्षक(ट्यूटर)	1. 5 वर्ष 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग या पोस्ट बेसिक). 3. बी.एस.सी. (नर्सिंग या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम).	**(क) संचालनालय स्तर—** 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग प्रशासन). -सदस्य [यदि वह वरिष्ठतम नहीं हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक/सहायक नर्स- प्रसाविका 2 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स)	1. 5 वर्ष 2. विभागीय नर्सिंग और प्रसाविका प्रशिक्षित. 3. पंजीकृत नर्स जो महाकोशल नर्सिंग परिषद् से पंजीकृत हो.	**(ख) संभागीय स्तर समिति—** 1. वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. जिले का वरिष्ठतम परिवार कल्याण-सह-स्वास्थ्य अधिकारी. -सदस्य 3. जिला चिकित्सालय की नर्सिंग अधीक्षक या मेट्रन.''.

No. F. 3-12-2010-XVII-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class III Nurses Service Recruitment Rules, 1989 namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule I, for serial number 3(A) and entries realting thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Name of the Post included in the Service	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3(A)	Staff Nurse	7763	Class III	1290-1840	Divisional Joint Director of Health Services.

(2) In Schedule II, for serial Number 3(A) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Service	Total No. of Posts	Percentage of the Number of the duty posts to be tilled in			Remark
			By direct recruitment [See fule-6(1)]	By promotion of the members of service [See rule 6(b)]	By temporary transfer of persons from other services [See rule 6(c)(6)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3(a)	Staff Nurse	7763	90% (Appointment on Allotment on merit basis after passing the training)	10%	-	

(3) In Schedule III, for serial Number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No. (1)	Name of the Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Required Educational Qualifications and training (5)	Remark (6)
"4.	Staff Nurse	18 years (Female candidate)	1. Female Candidates (General Category) 35+10=45 2. Female Candidates (Reserve category ST/SC/OBC/ 35+10+5=50 3. Widow, Separated Divorcee Female Candidate (General Category) 35+10+5=50 4. Widow, Separated Divorcee Female Candidate (Reserve category ST/SC/OBC) 35+10+5+5=55	(1) Candidates must possess 10+2 with Physics, Chemistry ana Biology. (2) B.Sc. Graduate Nursing degree/diploma Nursing. (3) Passed candidates must have registered in R.N.R.M. (Registered Nurse and Registered Midwife) from Madhya Pradesh Nursing Council. In such cases where sufficient number of trained candidate from Government Institutes are not available, then candidates trained from recognised Non Government Schools/Colleges of Nursing, Female candidates will be considered for appointing on the post of Staff Nurse. If sufficient number of candidates are not available within the State of Madhya Pradesh, one time relaxation shall be given for female candidates from the trained BSC Nursing/Diploma Nursing from other states.".	

(4) In Schedule IV, for serial Number 2, 3, 4 and 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No. (1)	Name of post from which promotion is to be made (2)	Name of the post to which Promotion is to be made (3)	Required Experience and Qualification (4)	Name of the member of the Departmental promotion Committee (5)
"2.	Staff Nurse	Nursing Sister/ House Keeper	5 years	(A) Directorate Level- 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters)-Chairman 2. Joint Director of Health Services -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing)-Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
3.	Staff Nurse	Sister Tutor	1. 5 years 2. B.Sc. (Nursing or Post Basic) 3. B.Sc. (Nursing or Post Certificate course of Sister Tutor)	**(A) Directorate Level-** 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters)-Chairman 2 Joint Director of Health Services -Member (Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing) -Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
4.	Staff Nurse	Public Health Tutor	1. 5 years 2. B.Sc. (Nursing or Post Basic) 3. B.Sc. (Nursing or Post Certificate course of Sister Tutor)	**(A) Directorate Level-** 1. Senior Most Joint Director Health Services -Chairman (Headquarters) 2. Joint Director of Health Services -Member (Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing) -Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
5.	LHV Auxiliary Nurse Mid-Wifery	Staff Nurse	1. 5 years 2. Departmental Nursing and Midwifery trained. 3. Registered Nurse Registered with M.K. Nursing council.	**(B) Division Level Committee-** 1. Senior Most Chief Medical & Health Officer -Chairman (Head quarters). 2. Senior Most District Family Welfare cum Health Officer-Member. 3. Nursing Superintendent Matron of District Hospital.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011—श्रावण 4, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2011

क्र. एफ. 3-12-2010-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची एक में, अनुक्रमांक 3 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 (क)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	7763	तृतीय श्रेणी	1290-1840	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें.

(2) अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 3 (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 (क)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	7763	90 प्रतिशत (प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् गुणागुण के आधार पर आवंटन से नियुक्ति).	10 प्रतिशत	-	-

(3) अनुसूची तीन में, अनुक्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु क्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं एवं प्रशिक्षण	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	18 वर्ष (महिला अभ्यर्थी).	1. महिला अभ्यर्थी (सामान्य वर्ग) 35+10=45. 2. महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग) अजजा/अजा/अ.पि. वर्ग 35+10+5=50. 3. विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी (सामान्य वर्ग) 35+10+5=50. 4. विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी (आरक्षित वर्ग) अजजा/अजा/अ.पि. वर्ग 35+10+5+5=55.	(1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान के साथ 10+2 अवश्य होना चाहिए. (2) बी.एस.सी. स्नातक नर्सिंग डिप्लोमा. (3) उत्तीर्ण अभ्यर्थी, मध्यप्रदेश नर्सिंग परिषद् से आर.एन.आर.एम. [रजिस्ट्रीकृत नर्स तथा रजिस्ट्रीकृत दाई (मिडवाइफ)] में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है. शासकीय संस्था से प्रशिक्षित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में मान्यताप्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों/नर्सिंग महाविद्यालय से प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा. यदि मध्यप्रदेश राज्य के भीतर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तब अन्य राज्यों से बी.एस.सी. नर्सिंग/डिप्लोमा नर्सिंग प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए एक बार छूट दी जाएगी.".	

(4) अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 2, 3, 4 तथा 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव एवं योग्यता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	नर्सिंग सिस्टर/ हाउस कीपर.	5 वर्ष	**(क) संचालनालय स्तर—** 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग प्रशासन). -सदस्य [यदि वह वरिष्ठतम न हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य
3.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर).	1. 5 वर्ष 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग या पोस्ट बेसिक). 3. बी.एस.सी. (नर्सिंग या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम).	**(क) संचालनालय स्तर—** 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग प्रशासन). -सदस्य [यदि वह वरिष्ठतम न हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य
4.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स).	लोक स्वास्थ्य शिक्षक(ट्यूटर)	1. 5 वर्ष 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग या पोस्ट बेसिक). 3. बी.एस.सी. (नर्सिंग या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम).	**(क) संचालनालय स्तर—** 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग प्रशासन). -सदस्य [यदि वह वरिष्ठतम नहीं हो तब अन्य उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय) सदस्य होगा.] 3. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग) -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक/सहायक नर्स- प्रसाविका 2 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण.	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स)	1. 5 वर्ष 2. विभागीय नर्सिंग और प्रसाविका प्रशिक्षित. 3. पंजीकृत नर्स जो महाकोशल नर्सिंग परिषद् से पंजीकृत हो.	**(ख) संभागीय स्तर समिति—** 1. वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (मुख्यालय). -अध्यक्ष 2. जिले का वरिष्ठतम परिवार कल्याण-सह-स्वास्थ्य अधिकारी. -सदस्य 3. जिला चिकित्सालय की नर्सिंग अधीक्षक या मेट्रन.''.

No. F. 3-12-2010-XVII-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class III Nurses Service Recruitment Rules, 1989 namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule I, for serial number 3(A) and entries realting thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Name of the Post included in the Service	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3(A)	Staff Nurse	7763	Class III	1290-1840	Divisional Joint Director of Health Services.

(2) In Schedule II, for serial Number 3(A) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Service	Total No. of Posts	Percentage of the Number of the duty posts to be tilled in			Remark
			By direct recruitment [See fule-6(1)]	By promotion of the members of service [See rule 6(b)]	By temporary transfer of persons from other services [See rule 6(c)(6)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3(a)	Staff Nurse	7763	90% (Appointment on Allotment on merit basis after passing the training)	10%	-	

(3) In Schedule III, for serial Number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No. (1)	Name of the Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Required Educational Qualifications and training (5)	Remark (6)
"4.	Staff Nurse	18 years (Female candidate)	1. Female Candidates (General Category) 35+10=45 2. Female Candidates (Reserve category ST/SC/OBC/ 35+10+5=50 3. Widow, Separated Divorcee Female Candidate (General Category) 35+10+5=50 4. Widow, Separated Divorcee Female Candidate (Reserve category ST/SC/OBC) 35+10+5+5=55	(1) Candidates must possess 10+2 with Physics, Chemistry ana Biology. (2) B.Sc. Graduate Nursing degree/diploma Nursing. (3) Passed candidates must have registered in R.N.R.M. (Registered Nurse and Registered Midwife) from Madhya Pradesh Nursing Council. In such cases where sufficient number of trained candidate from Government Institutes are not available, then candidates trained from recognised Non Government Schools/Colleges of Nursing, Female candidates will be considered for appointing on the post of Staff Nurse. If sufficient number of candidates are not available within the State of Madhya Pradesh, one time relaxation shall be given for female candidates from the trained BSC Nursing/Diploma Nursing from other states.".	

(4) In Schedule IV, for serial Number 2, 3, 4 and 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No. (1)	Name of post from which promotion is to be made (2)	Name of the post to which Promotion is to be made (3)	Required Experience and Qualification (4)	Name of the member of the Departmental promotion Committee (5)
"2.	Staff Nurse	Nursing Sister/ House Keeper	5 years	(A) Directorate Level- 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters)-Chairman 2. Joint Director of Health Services -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing)-Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
3.	Staff Nurse	Sister Tutor	1. 5 years 2. B.Sc. (Nursing or Post Basic) 3. B.Sc. (Nursing or Post Certificate course of Sister Tutor)	**(A) Directorate Level-** 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters)-Chairman 2 Joint Director of Health Services -Member (Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing) -Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
4.	Staff Nurse	Public Health Tutor	1. 5 years 2. B.Sc. (Nursing or Post Basic) 3. B.Sc. (Nursing or Post Certificate course of Sister Tutor)	**(A) Directorate Level-** 1. Senior Most Joint Director Health Services -Chairman (Headquarters) 2. Joint Director of Health Services -Member (Nursing Administration) [If he is not senior most, then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter) Shall be the Member.] 3. Deputy Director of Health Services (Nursing) -Member 4. Assistant Nursing Advisor -Member
5.	LHV Auxiliary Nurse Mid-Wifery	Staff Nurse	1. 5 years 2. Departmental Nursing and Midwifery trained. 3. Registered Nurse Registered with M.K. Nursing council.	**(B) Division Level Committee-** 1. Senior Most Chief Medical & Health Officer -Chairman (Head quarters). 2. Senior Most District Family Welfare cum Health Officer-Member. 3. Nursing Superintendent Matron of District Hospital.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2011—माघ 26, शक 1932

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. एफ. 2-20-10-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

समूह क—चिकित्सा

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक	04	प्रथम श्रेणी	37400—67000+ ग्रेड पे 10000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवा/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ.	10	प्रथम श्रेणी	37400—67000+ ग्रेड पे 8900	
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य तथा सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल	01	प्रथम श्रेणी	37400—67000+ ग्रेड पे 8700	
4	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (संभागीय कार्यालय-07/मुख्यालय-06)	13	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 7600	
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 48/ उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभागीय कार्यालय 21, मुख्यालय 09, प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र 03, अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर 01, अधीक्षक, कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल 01.	83	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
6	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	07	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
7	जिला टीकाकरण अधिकारी	48	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
8	जिला स्वास्थ्य अधिकारी (48)/जिला परिवार कल्याण अधिकारी (48)/ मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी (313)/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी (20)/ सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय 06).	435	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
9	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय (07)/ संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01).	08	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
10	विशेषज्ञ	1970	-तदैव-		छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत	1182	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 20 प्रतिशत	450	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 7600	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	295	-तदैव-	37400—67000+ ग्रेड पे 8700	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(घ) वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान 2 प्रतिशत	40	प्रथम श्रेणी	37400—67000+ ग्रेड पे 8900	वेतनमान प्रवरण श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कालीन कर्तव्यों का निर्वहन भी निरंतर करते रहेंगे.
11	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	06	-तदैव-		छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन के पश्चात् उनके कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कालीन कर्तव्यों का निर्वहन भी निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत	4	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 25 प्रतिशत	1	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 7600	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	1	-तदैव-	37400—67000+ ग्रेड पे 8700	
12	चिकित्सा अधिकारी	3520	-तदैव-		छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्रवरण वेतनमान वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान/ चयन के पश्चात् उनके कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपातकालीन कर्तव्यों का निर्वहन भी निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत	2112	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 5400	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 23 प्रतिशत	810	प्रथम श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	528	-तदैव-	15600—39100+ ग्रेड पे 7600	
	(घ) वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान 2 प्रतिशत	70	-तदैव-	37400—67000+ ग्रेड पे 8700	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	दन्त शल्य चिकित्सक	137	प्रथम श्रेणी		छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन के पश्चात् उनके कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपातकालीन कर्तव्यों का निर्वहन भी निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत	83	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 5400	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 25 प्रतिशत	34	प्रथम श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 6600	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	20	प्रथम श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 7600	

समूह ख—गैर चिकित्सीय

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	संयुक्त संचालक (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 7600
2	संयुक्त संचालक (योजना तथा प्रबंधन)	1	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 7600
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	1	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 6600
4	उप संचालक (योजना मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग)/ उप संचालक (जन सांख्यिकी)	2	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 6600
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच)/ उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य)	3	प्रथम श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 6600
6	कीट विज्ञानी	1	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 6600
7	कार्यपालन यंत्री (परिवहन)	1	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 6600
8	सांख्यिकी अधिकारी	7	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 5400
9	वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी	3	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 5400
10	प्रशासकीय अधिकारी	54	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 5400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01/ संभागीय कार्यालय 07)	8	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+ ग्रेड पे 5400
12	कोल्ड चेन अधिकारी	1	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 5400
13	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव शास्त्री/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया).	45	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 5400
14	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक	52	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 5400
15	प्रचार अधिकारी/ संपादक	1	—तदैव—	9300—34800+ ग्रेड पे 4200
16	सहायक यंत्री (परिवहन)/ सहायक यंत्री (भण्डार)	6	—तदैव—	9300—34800+ ग्रेड पे 4200
17	समाज विज्ञानी	1	—तदैव—	9300—34800+ ग्रेड पे 4200
18	प्रबंध अनुदेशक	3	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 5400
19	स्वच्छता यंत्री	4	—तदैव—	15600—39100+ ग्रेड पे 5400
20	भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट)	2	—तदैव—	9300—34800+ ग्रेड पे 4200
21	उप जिला विस्तार तथा माध्मम अधिकारी (समन्वय)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी	76	—तैदव—	9300—34800+ ग्रेड पे 3600
22	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	1	—तैदव—	9300—34800+ ग्रेड पे 3600

समूह ग—परिचर्या सेवाएं

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या)	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड पे 6600
2	प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड पे 6600
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य परिचर्या अनुदेशक/ लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	82	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड पे 5400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड पे 5400
5	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/ प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण शाला/ वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर.	30	—तदैव—	9300—34800 + ग्रेड पे 4200
6	परिचर्या, अधीक्षक ग्रेड-2	13	—तदैव—	9300—34800 + ग्रेड पे 4200

(2) अनुसूची-चार में, शीर्षक "समूह ख-गैर चिकित्सीय" के अधीन अनुक्रमांक 8 में, कालम (4) में, प्रविष्टि (3) में, शब्द "सात वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" स्थापित किए जाएं.

No. F-2-20-2010-XVII-M-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments is the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) For Schedule-I, the following Schedule shall be substituted namely:—

"SCHEDULE—I
(See rule 5)

Classification, Pay Scale, Number of posts Included in Service

Group A—Medical

S. No. (1)	Name of Posts included in Service (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)	Remark (6)
1	Director	4	Class-I	37400—67000+ Grade Pay 10000	
2	Director, State Training and Management Institute Gwalior/ Regional Director, Health Service/ Director State Blood Transfusion Council/ Additional Director, State Aids Cell.	10	—do—	37400—67000+ Grade Pay 8900	
3	Director, State Health and Information Education and Communication Bureau, Bhopal.	1	—do—	37400—67000+ Grade Pay 8700	
4	Joint Director, Health Services (Divisional Offices 07/Head Quarter 06).	13	—do—	15600—39100+ Grade Pay 7600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Chief Medical and Health Officer 48/ Deputy Director, Health Services Divisional Office 21, Head Quarter 09, Principal, Regional, Health and Family Planning Training Centre 03, Superintendent, Rani Durgawati Hospital, Jabalpur 01, Superintendent, Kailash Nath Katju Hospital, Bhopal 01.	83	Class-I	15600—39100+ Grade Pay 6600	
6	Leprosy Officer Grade-I	7	—do—	15600—39100+ Grade Pay 6600	
7	District Immunization Officer	48	—do—	15600—39100+ Grade Pay 6600	
8	District Health Officer (48)/ District Family Planning Officer (48)/Chief Block Medical Officer (313)/District Health and Epidemic Control Officer (20)/ Assistant Director, Health Services (Head Quarter 06).	435	—do—	15600—39100+ Grade Pay 6600	
9	Superintendent T.B. Hospital (07)/ Director T.B. Demonstration and Training Centre, Bhopal (01).	8	—do—	15600—39100+ Grade Pay 6600	
10	Specialist	1970	—do—		On the recommendation of Screening Committee after 6 years service in junior grade scale, 6 years service in senior grade scale and 6 years service in selection grade scale eligible for senior grade scale, Selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but there shall be no change in their duties on selection into senior and selection pay scales and they shall continue to perform emergency duties as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	1182	—do—	15600—39100+ Grade Pay 6600	
	(b) Senior Grade Scale 23%	453	—do—	15600—39100+ Grade Pay 7600	
	(c) Selection Grade Scale 15%	295	—do—	37400—67000+ Grade Pay 8700	
	(d) Senior Selection Grade Scale 2%	40	—do—	37400—67000+ Grade Pay 8900	
11	Dental Specialist	6	—do—		On the recommendation of Screening Committee after 6 years service in junior grade scale, 4 years service in senior grade scale eligible for senior grade scale and selection grade scale
	(a) Junior Grade Scale 60%	4	—do—	15600—39100+ Grade Pay 6600	
	(b) Senior Grade Scale 25%	1	—do—	15600—39100+ Grade Pay 7600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(c) Selection Grade Scale 15%	1	Class-I	37400—67000+ Grade Pay 8700	respectively but there shall be no change in their duties on selection senior and selection grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties as well.
12	Medical Officer	3520	—do—		On the recommendation of Screening Committee after 6 years service in junior grade scale, 4 years service in senior grade scale and 6 years service in selection grade scale eligible for senior grade scale, Selection grade scale senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection, senior and selection grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	2112	Class-II	15600—39100+ Grade Pay 5400	
	(b) Senior Grade Scale 23%	810	Class-I	15600—39100+ Grade Pay 6600	
	(c) Selection Grade Scale 15%	528	—do—	15600—39100+ Grade Pay 7600	
	(d) Senior Selection Grade Scale 2%	70	—do—	37400—67000+ Grade Pay 8700	
13	Dental Surgeon	137	—do—		On the recommendation of Screening Committee after 6 years service in junior grade scale, 4 years service in senior grade scale eligible for senior grade scale and selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection into senior and selection grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	83	Class-II	15600—39100+ Grade Pay 5400	
	(b) Senior Grade Scale 25%	34	Class-I	15600—39100+ Grade Pay 6600	
	(c) Selection Grade Scale 15%	20	—do—	15600—39100+ Grade Pay 7600	

Group-B—Non-Medical

S.No. (1)	Name of Posts included in service (2)	Number of posts (3)	Classi-fication (4)	Scale of Pay (5)
1	Joint Director (Mass Education Media)	1	Class-I	15600—39100+Grade Pay 7600
2	Joint Director (Planning and Management)	1	—do—	15600—39100+Grade Pay 7600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Deputy Director (Health Education Bureau)	1	Class-I	15600—39100+Grade Pay 6600
4	Deputy Director (Planning Evaluation and Monitorning)/Deputy Director (Demography).	2	—do—	15600—39100+Grade Pay 6600
5	Deputy Director (Establishment and Administration)/Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/Deputy Director (Law and Legal works).	3	—do—	15600—39100+Grade Pay 6600
6	Entomologist	1	—do—	15600—39100+Grade Pay 6600
7	Executive Engineer (Transport)	1	—do—	15600—39100+Grade Pay 6600
8	Statistical Officer	7	Class-II	15600—39100+Grade Pay 5400
9	Finance Officer/Accounts Officer/Store Officer	3	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
10	Administrative Officer	54	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
11	Accounts Officer (Head Quarter 01/ Divisional Officer 07)	8	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
12	Cold Chain Officer	1	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
13	District Malaria Officer/Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Filaria).	45	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
14	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/Communication Officer/ Health Education Officer/Health Education Instructor/Social Science Instructor.	52	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
15	Publicity Officer/Editor	1	—do—	9300—34800+Grade Pay 4200
16	Assistant Engineer (Transport)/Assistant Engineer (Store).	6	—do—	9300—34800+Grade Pay 4200
17	Social Scientist	1	—do—	9300—34800+Grade Pay 4200
18	Management Instructor	3	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
19	Sanitary Engineer	4	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
20	Physiotherapist	2	—do—	9300—34800+Grade Pay 4200
21	Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination)/Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/Deputy District Extension and Media Officer.	78	—do—	9300—34800+Grade Pay 3600
22	Senior Sanitary Officer	1	—do—	9300—34800+Grade Pay 3600

Group-'C'—Nursing Services

S.No. (1)	Name of Posts included in service (2)	Number of posts (3)	Classi-fication (4)	Scale of Pay (5)
1	Deputy Director Health Services (Nursing)	1	Class-I	15600—39100+Grade Pay 6600
2	Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain.	1	—do—	15600—39100+Grade Pay 6600
3	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/Public health Nurse/Public Health Nurse Instructor/Public Health Nurse Educator.	82	Class-II	15600—39100+Grade Pay 5400
4	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	1	—do—	15600—39100+Grade Pay 5400
5	Principal, L.H.V. Training School, Jabalpur/ Principal, Female Training School/Senior Sister Tutor.	30	—do—	9300—34800+Grade Pay 4200
6	Nursing Superintendent Grade-II	13	—do—	9300—34800+Grade Pay 4200

(2) In Schedule IV, under the heading "Group B—Non-Medical" in serial No. 8, in column (4), in entry 3, for the words "Seven years" the words "five years" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

राजपत्रित

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 मार्च 2008—चैत्र 7, शक 1930

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2008

क्र. एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश;

(घ) "समिति" से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति;

(ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन, मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियां के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिदिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा चयन या प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या दोनों द्वारा;

(ख) अनुसूची चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा; और

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए,

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें.**—चयन/परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) **आयु.**—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो, मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु-सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होनी चाहिए यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते की इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम-से-कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार

कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और;—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक अथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों.

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(ङ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्डधारक हैं, उच्चतर आयु-सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत संवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) विक्रम पुरस्कारधारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ट) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ठ) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

टिप्पणी .— ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8(1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं** .—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, परन्तु :—

(क) आयोग आपवादिक मामलों में, सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र ठहराता हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है, आयोग के विवेकानुसार, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा.

(3) **फीस** .—अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(एक) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा** .—चयन/परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भरती** :—

(क) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** .—(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जायेगी, जो कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी करे.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां आयोग, सरकार से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

(10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जायेंगी और रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अगले चयन के लिये आरक्षित रखी जायेंगी.

(ख) **चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में पदों पर नियुक्ति के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे.

(2) सेवा में पदों पर अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार लेने के पश्चात् किया जाएगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

13. **परिवीक्षा** .— सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** .— (1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नाम-निर्देशित किये अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी.

(2) **अनुसूची** .—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति में आरक्षण एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन** .—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

(4) विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि सरकार निदेश दें, किन्तु साधारणत: एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें** .— (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है या जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची -चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो.

स्पष्टीकरण .—(1) पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति-सुसंगत वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी.

(2) पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

(3) किसी भी व्यक्ति का, प्रथम पदोन्नति के लिये तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अनुसूचित क्षेत्र में दो वर्ष की सेवा पूर्ण न की हो:

परन्तु किसी व्यक्ति की अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना न की जाना, उसकी पदोन्नति के लिये निरर्हता के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा.

टिप्पणी .— (1) अनुसूचित क्षेत्र में प्रशिक्षण और परिवीक्षा पर बिताई गई कालावधि को उपर्युक्त खण्ड (3) के लिये सेवा के प्रयोजन के रूप में माना जायेगा.

(2) उपर्युक्त खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्त उन व्यक्तियों की आगे की पदोन्नति के मामले में लागू नहीं होगी जिन्हें उक्त शर्त के प्रवर्तन के पूर्व पदोन्नत किया गया था.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना** .—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें दो लोक सेवकों के नाम अथवा उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों के नाम, जो भी अधिक हो, सम्मिलित होंगे.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिये मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अनुसार होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविर्निष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के क्रम में रखे जायेंगे. जब कभी योग्यता-सह-वरिष्ठता के मानदण्ड के आधार पर पदोन्नति की जाना हो, चयन सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जायेगी.

स्पष्टीकरण .—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिसे चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

17. **आयोग से परामर्श** .—विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाए, की सिफारिश के संबंध में समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है तथा आयोग से पृथक् से परामर्श आवश्यक नहीं होगा.

18. **चयन सूची** .—(1) सरकार, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगी और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगी.

(2) यदि सरकार, समिति में प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगी, जो उसकी राय में न्यायसंगत हो.

(3) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति .**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

20. **परीक्षण अवधि .**—सेवा में पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा.

21. **निर्वचन .**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

22. **शिथिलीकरण .**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो.

23. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

24. **निरसन .**—मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

समूह "क" चिकित्सा

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक	04	प्रथम श्रेणी	18400-500-22400	
2	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/ क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवा/ संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्/ अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ	10	-तदैव-	16400-450-20000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य तथा सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल.	01	प्रथम श्रेणी	14300-400-18300	
4	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (संभागीय कार्यालय-07/ मुख्यालय-06).	13	-तदैव-	12000-375-16500	
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-(48)/उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें/(संभागीय कार्यालय-21)/मुख्यालय-(9)/ प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (03/अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर (01)/ अधीक्षक, कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल-(1).	83	-तदैव-	10650-325-15850	
6	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	07	-तदैव-	10650-325-15850	
7	जिला टीकाकरण अधिकारी	48	-तदैव-	10000-325-15200	
8	जिला स्वास्थ्य अधिकारी-(48)/ जिला परिवार कल्याण अधिकारी -(48)/मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी (313)/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी -(20)/सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (मुख्यालय) (06).	435	-तदैव-	10000-325-15200	
9	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय-(07)/संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01).	08	-तदैव-	10000-325-15200	
10	विशेषज्ञ	1970	-तदैव-		छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ, श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवरण श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन पर उनके कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत.	1182	-तदैव-	10000-325-15200	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 23 प्रतिशत.	453	-तदैव-	12000-375-16500	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	295	-तदैव-	14300-400-18300	
	(घ) वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान 2 प्रतिशत.	40	-तदैव-	16400-450-20000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	06	प्रथम श्रेणी	-	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी/प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन के पश्चात् कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत.	4	-तदैव-	10000-325-15200	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 25 प्रतिशत.	1	-तदैव-	12000-375-16500	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	1	-तदैव-	14300-400-18300	
12	चिकित्सा अधिकारी	3520		-	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवरण श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान/प्रवरण श्रेणी वेतनमान/वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन के पश्चात् कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत.	2112	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 23 प्रतिशत.	810	प्रथम श्रेणी	10000-325-15200	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	528	प्रथम श्रेणी	12000-375-16500	
	(घ) वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान 2 प्रतिशत	70	प्रथम श्रेणी	14300-400-18300	
13	दन्त शल्य चिकित्सक	137	-		छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी/प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन के पश्चात् कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत.	83	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 25 प्रतिशत.	34	प्रथम श्रेणी	10000-325-15200	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	20	प्रथम श्रेणी	12000-375-16500	

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	संयुक्त संचालक (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	1	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500
2	संयुक्त संचालक, (योजना तथा प्रबंधन)	1	—तदैव—	12000—375—16500
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	1	—तदैव—	10000—325—15200
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग)/ उप संचालक (जन सांख्यिकी).	2	—तदैव—	10000—325—15200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन)/उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच)/उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य).	3	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200
6	कीट विज्ञानी	1	—तदैव—	10000—325—15200
7	कार्यपालन यंत्री (परिवहन)	1	—तदैव—	10000—325—15200
8	सांख्यिकी अधिकारी	7	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500
9	वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/भण्डार अधिकारी	3	—तदैव—	8000—275—13500
10	प्रशासकीय अधिकारी	54	—तदैव—	8000—275—13500
11	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01/संभागीय कार्यालय 07)	8	—तदैव—	8000—275—13500
12	कोल्ड चेन अधिकारी	1	—तदैव—	8000—275—13500
13	जिला मलेरिया अधिकारी/जीव शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया).	45	—तदैव—	8000—275—13500
14	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक.	52	—तदैव—	8000—275—13500
15	प्रचार अधिकारी/संपादक	1	—तदैव—	6500—200—10500
16	सहायक यंत्री (परिवहन)/सहायक यंत्री (भण्डार)	6	—तदैव—	6500—200—10500
17	समाज विज्ञानी	1	—तदैव—	6500—200—10500
18	प्रबंध अनुदेशक	3	—तदैव—	8000—275—13500
19	स्वच्छता यंत्री	4	—तदैव—	8000—275—13500
20	भौतिक चिकित्साविद्	2	—तदैव—	6500—200—10500
21	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार अधिकारी.	78	—तदैव—	5500—175—9000
22	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	1	—तदैव—	5500—175—9000

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या)	1	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200
2	प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन	1	—तदैव—	10000—325—15200
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स. अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	82	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500
4	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर	1	—तदैव—	8000—275—13500
5	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण शालाएं/वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर.	30	—तदैव—	6500—200—10500
6	परिचर्या, अधीक्षण ग्रेड-2	13	—तदैव—	6500—200—10500

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका
समूह "क" चिकित्सा

अनु-क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता: सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए)]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संचालक	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं—प्रथम श्रेणी.	4	–	100 प्रतिशत	–	–
2	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ.	—तदैव—	10	–	100 प्रतिशत	–	–
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल.	—तदैव—	1	–	100 प्रतिशत	–	–
4	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	—तदैव—	13	–	100 प्रतिशत	–	–
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय) तथा संभागीय कार्यालय/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र/ अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर/अधीक्षक, कैलाशनाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल.	—तदैव—	83	–	100 प्रतिशत	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं प्रथम श्रेणी.	7	-	100 प्रतिशत	-	-
7	जिला टीकाकरण अधिकारी	—तदैव—	48	-	100 प्रतिशत	-	-
8	जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला परिवार नियोजन अधिकारी/मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय).	—तदैव—	435	-	100 प्रतिशत	-	-
9	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/ संचालक, क्षय रोग प्रत्यक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	—तदैव—	08	-	100 प्रतिशत	-	-
10	विशेषज्ञ	—तदैव—	1970	-	100 प्रतिशत	-	-
11	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	—तदैव—	06	-	100 प्रतिशत	-	-
12	चिकित्सा अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं द्वितीय श्रेणी.	3520	-	100 प्रतिशत	-	-
13	दन्त शल्य चिकित्सक	—तदैव—	137	-	100 प्रतिशत	-	-

समूह "ख" गैर-चिकित्सीय

अनु-क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संयुक्त संचालक, (सार्वजनिक शिक्षा तथा माध्यम).	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं— प्रथम श्रेणी	1	-	100 प्रतिशत	-	यदि पदोन्नति के द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो यह पद जनसंपर्क विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है.
2	संयुक्त, संचालक, (योजना एवं प्रबंधन)	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	यदि पदोन्नति के द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो यह पद वित्त विभाग (कोष एवं लेखा संचालनालय) से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो).	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं— प्रथम श्रेणी	1	–	100 प्रतिशत	–	–
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग)/उप संचालक जनसांख्यिकी).	—तदैव—	2	–	100 प्रतिशत	–	–
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच)/ उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य).	—तदैव—	3	–	100 प्रतिशत	–	–
6	कीट विज्ञानी	—तदैव—	1	–	100 प्रतिशत	–	–
7	कार्यपालन यंत्री (परिवहन)	—तदैव—	1	–	100 प्रतिशत	–	लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग से या सरकार के किसी अन्य विभाग से स्थानान्तरण द्वारा, जिनके पास यांत्रिकी इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा आटोमोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (पत्रोपाधि) हो.
8	सांख्यिकी अधिकारी	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं—द्वितीय श्रेणी	7	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	–	
9	वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी.	—तदैव—	3	–	100 प्रतिशत	–	–
10	प्रशासकीय अधिकारी	—तदैव—	54	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	–	–
11	लेखा अधिकारी	—तदैव—	8	–	–	100 प्रतिशत	मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों से.
12	कोल्ड चेन अधिकारी	—तदैव—	1	100 प्रतिशत	–	–	–
13	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया).	—तदैव—	45	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक.	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं—द्वितीय श्रेणी.	52	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	-	-
15	प्रचार अधिकारी/संपादक	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	-
16	सहायक यंत्री (परिवहन)/सहायक यंत्री (भण्डार).	—तदैव—	6	-	100 प्रतिशत	-	-
17	समाज विज्ञानी	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	-
18	प्रबंध अनुदेशक	—तदैव—	3	100 प्रतिशत	-	-	-
19	स्वच्छता यंत्री	—तदैव—	4	-	-	100 प्रतिशत	-
20	भौतिक चिकित्साविद्	—तदैव—	2	-	100 प्रतिशत	-	-
21	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)/उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/उप जिला विस्तार अधिकारी.	—तदैव—	78	-	100 प्रतिशत	-	-
22	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	-

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता: सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या).	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा— प्रथम श्रेणी.	1	-	100 प्रतिशत	-	-
2	प्राचार्य क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा— प्रथम श्रेणी.	82	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	–	–
4	प्राचार्य, लोक अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा— द्वितीय श्रेणी.	1	–	100 प्रतिशत	–	–
5	प्राचार्य, एल. एच. व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण शालाएं/वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर.	—तदैव—	30	–	100 प्रतिशत	–	–
6	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड-2	—तदैव—	13	–	100 प्रतिशत	–	–

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

समूह "क" चिकित्सा

अनु क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	अभ्युक्ति (6)
1	चिकित्सा अधिकारी	21 वर्ष	32 वर्ष	एम.बी.बी.एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता.	
2	दन्त शल्य चिकित्सक	21 वर्ष	32 वर्ष	बी.डी.एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई समतुल्य उपाधि.	

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	अभ्युक्ति (6)
1	सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	एम.ए. (सांख्यिकी) पी.एच.डी. को अधिमान्यता/स्वास्थ्य सांख्यिकी में डिप्लोमा सहित.	
2	प्रशासकीय अधिकारी	25 वर्ष	40 वष	पांच वर्ष के पर्यवेक्षी अनुभव सहित स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षित. (एस. ए. एस.) में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा.	
3	कोल्ड चेन अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	मेकेनिकल अथवा रेफ्रीजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि एक वर्ष का कार्यानुभव सहित अथवा प्रशीतन यांत्रिकी में, उपस्कर के अनुरक्षण तथा प्रशीतन प्रचालन में डिप्लोमा.	
4	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव-शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	21 वर्ष	30 वर्ष	एम. एस. सी. (कीट विज्ञान) अथवा एम. एस. सी. (प्राणी शास्त्र), एम. एस. सी. (कीट विज्ञान) को अधिमान दिया जायेगा.	
5	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ /संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक	21 वर्ष	30 वर्ष	स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अधिमानता के साथ समाज शास्त्र में एम. ए./ भारतीय जन संचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा.	
6	प्रबंध अनुदेशक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन/व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि, अध्यापन तथा पर्यवेक्षी कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा.	

समूह "ग" परिचर्या सेवायें

अनु क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	अभ्युक्ति (6)
1	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/ लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	28 वर्ष	40 वर्ष	बी. एस. सी. (परिचर्या) अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लोक स्वास्थ्य परिचर्या का प्रमाण-पत्र परिचर्या सेवा में का दस वर्ष का अनुभव.	

टीप :—उन पदों, जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-सी-3-5-2001-3-1, दिनांक 17 अगस्त, 2004 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों/महिलाओं, तथा विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को सरकार द्वारा प्रदत्त छूट यथावत् रहेगी अर्थात् उन्हें 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अलावा, उपरोक्त छूटों का लाभ पूर्वत् प्राप्त होगा.

अनुसूची—चार

(नियम 13 तथा 14 देखिए)

पदोन्नति के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

समूह "क" चिकित्सा

अनु. क्रमांक (1)	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है (2)	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है (3)	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हों, तथा अन्य अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)
1	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/ संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ.	संचालक	दो वर्ष. कॉलम (2) में दर्शित पदों पर समुचित अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर ये पद ऐसे संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जिनकी पांच वर्ष की सेवावधि पूर्ण हो चुकी है, की पदोन्नति से भरे जा सकते हैं.	1. मुख्य सचिव-अध्यक्ष 2. वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत शासन का प्रमुख सचिव-सदस्य. 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 4. अपर सचिव/उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-संयोजक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (संभागीय कार्यालय तथा मुख्यालय).	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/ क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं/ संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्/ अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ.	तीन वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष. 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र/ अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर/ अधीक्षक, कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल.	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं.	तीन वर्ष	-तदैव-
4	जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला परिवार कल्याण अधिकारी/प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी/ जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/ जिला टीकाकरण अधिकारी/सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय)/अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/ संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र/अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर/ अधीक्षक, कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल. (25 प्रतिशत पद विशेषज्ञ की पदोन्नति से. शेष 75 प्रतिशत पद अनुक्रमांक 4 के कॉलम (2) में दर्शित अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से)	तीन वर्ष	-तदैव-
5	चिकित्सा अधिकारी	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	कुष्ठ कार्य में 6 वर्ष का अनुभव	-तदैव-
6	चिकित्सा अधिकारी	जिला टीकाकरण अधिकारी	शिशु रोग विज्ञान या प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर उपाधि के उपरांत पांच वर्ष अथवा शिशु रोग विज्ञान या प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में डिप्लोमा के बाद सात वर्ष का अनुभव.	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	चिकित्सा अधिकारी	जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला परिवार कल्याण अधिकारी / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/ सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय).	दस वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष. 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य
8	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल.	वक्ष रोग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा क्षय रोग तथा वक्ष रोग में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव.	-तदैव-
9	चिकित्सा अधिकारी	विशेषज्ञ	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव.	-तदैव-
10	दन्त शल्य चिकित्सक	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	स्नातकोत्तर उपाधि (एम. डी. एस.) प्राप्त करने के बाद दन्त शल्य चिकित्सक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा दन्त शल्य चिकित्सक के रूप में दस वर्ष का अनुभव.	-तदैव-

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हों, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उप संचालक, (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो).	संयुक्त संचालक (जनसंपर्क, शिक्षा तथा माध्यम).	तीन वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य.
2	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच)/ उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य)/उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मानिटिरिंग/) उप संचालक (जनसांख्यिकी)	संयुक्त संचालक (योजना एवं प्रबंधन)	तीन वर्ष	-तदैव-
3	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक.	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो).	तीन वर्ष	-तदैव-
4	सांख्यिकी अधिकारी	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग)/ उप संचालक (जनसांख्यिकी).	तीन वर्ष	-तदैव-
5	प्रशासकीय अधिकारी/लेखा अधिकारी/भण्डार अधिकारी.	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच)/उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य).	तीन वर्ष	-तदैव-

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु-क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं, यदि कोई हों तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक/ प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या)/ प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	1. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या) के पद के लिये कॉलम (2) में दर्शाए गये किसी भी पद पर पांच वर्ष का अनुभव. प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन के पद के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त बी. एस. सी. (परिचर्या) की उपाधि परिचर्या में स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमान दिया जावेगा.	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य.
2.	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर/परिचर्या अधीक्षक-ग्रेड-2/प्राचार्य, एल. एच. व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला.	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	1. बी. एस. सी. (परिचर्या) अथवा लोक स्वास्थ्य (परिचर्या) डिप्लोमा तथा पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव.	-तदैव-
3.	(क) वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर/प्राचार्य, एल. एच. व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला (द्वितीय श्रेणी सेवा) (ख) लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) / सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	1. बी. एस. सी. (परिचर्या) उपाधि अथवा लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या प्रशासन में डिप्लोमा. 2. वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर /प्राचार्य प्रोन्नत शाला, जबलपुर/प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला के पद पर दो वर्ष का अनुभव. 3. लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर)/सिस्टर ट्यूटर के पद के लिए पांच वर्ष का अनुभव.	-तदैव-
4.	सिस्टर ट्यूटर/लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्राचार्य, एल. एच. व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला.	तीन वर्ष का अनुभव. केवल वे लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर)/सिस्टर ट्यूटर, पात्र होगी जो बी. एस. सी. (परिचर्या) उपाधि अथवा लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या प्रशासन में डिप्लोमा धारण करती हो.	-तदैव-
5.	मेट्रन	परिचर्या अधीक्षक-ग्रेड-दो	तीन वर्ष	-तदैव-
6.	सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर	पांच वर्ष	-तदैव-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2008

क्र. एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि.-एक, दिनांक 27 मार्च 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2008

No. F-1-85-2005-XVII-Med.I.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the Members of the Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing authority" in respect of the service or a post means the Government;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Commissioner" means the Commissioner, Health Service, Madhya Pradesh;

(d) "Committee" means the Selection Committee/Departmental Promotion Committee/Screening Committee;

(e) "Examination" means a competitive Examination for recruitment to the Service held under Rule 11 of these rules;

(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification No. 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(i) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(k) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe of tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(l) "Service" means the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service;

(m) "State" means the State of Madhya Pradesh;

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service as mentioned in Schedule-1.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely:—

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity the posts specified in Schedule-1;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules;

5. **Classification, Scale of Pay etc..**—The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the services shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

(a) By direct recruitment, by selection or competitive examination or by both;

(b) By promotion of the members of the service specifies in column (2) of Schedule-IV; and

(c) By transfer or deputation of the persons who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage as shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of the filling any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf prescribed.

7. **Appointment to the Service.**—All the appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for the direct recruitment.**—In order to be eligible for selection/examination a candidate must satisfy the following conditions namely:—

(1) Age—(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) ~~A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age;~~

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more that 38 years of age. This Concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the project implementation committee;

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenchment Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate who is an ex-service man shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him: Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation .—The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unity or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-service man released under mustering out concessions.

(2) Ex-service man enrolled for the second time and discharged on—

(a) Completion of short-term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-personal of Madras Civil unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharge on completion of their contract (including short service regular commissioned officers).

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-serviceman invalidated out of service.

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(e) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a women candidate in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special provisions for the Appointment for the Women) Rules, 1997;

(f) the upper age limit shall be relaxable up to a five years in respect of the widow, destitute and divorce women candidate;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of two years for those candidates, who are holding green card under the Family Welfare Programme;

(h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste-marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Department;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of Vikram Awards holder candidates;

(j) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates, who are employees of the Madhya Pradesh State Corporations/Boards;

(k) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(l) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per the instructions issued by the State Government from time to time.

Note.—Candidates, who are found eligible for examination/selection under the age-concessions mentioned in the rule 8(i) sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.

(2) **Educational Qualifications** :—The candidate must have posses the Educational Qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

Provided that—

(a) In exceptional cases the Commission, in consultation with the Government, may treat as qualified any candidate, who thought not possessing any of the qualifications prescribed in these rules but has passed examination conducted by other institutions/universities by such a standard for which the Commission considers the candidate eligible to appear in the examination/selection; and

(b) Candidated who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities being Universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing the examination/selection at the discretion of the Commission.

(3) **Fees** .—The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.**—(i) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(ii) In accordance with the provisions of Rules 5 of the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of service) Rule, 1961, no candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(iii) A candidate shall not be eligible for any other service or post has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th January 2001 in which two or more than two children are born.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidate shall be final .**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to appear in the interview/examination.

11. **Direct recruitment by competitive examination/selection:—**

(A) **Direct recruitment by competitive examination**—(1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Government may in consultation with Commission, determine from time to time.

(2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government, may from time to time issued in consultation with the Commission.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time;

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the commission to the suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) There shall be reserved post for the women candidates, in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Special provisions for appointment of women) Rules, 1997.

(7) There shall be reserved posts for the disabled candidates in accordance with the direction of the General Administration Department.

(8) There shall be reserved posts for Ex-serviceman in accordance with the directions of the General Administration Department.

(9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as essential conditions for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Commission that sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available, the Commission may relax such conditions of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the Government.

(10) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and vacancies, as the case may be, shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.

(B) **Direct recruitment by selection.**—(1) The selection for appointment on the post to the service shall be held at such intervals, as the Government may, in consultation with the Commission determine from time to time.

(2) The selection of candidates on the post to the service shall be made by the Commission after interview.

12. **List of candidates recommended by the commission.**— (1) The Commission shall prepare and forward a list to the Government arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard, as determined by the Commission and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard but are declared by the Commission to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Sevices (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

13. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a committee consisting of members as mentioned in Schedule-IV, for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominating members other than the member presiding the Departmental Promotion Committee/ Screening Committee in respects of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Secheduled Tribes, then one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee/Screening Committee and the numbers of the members of Departmental Promotion Committee/Screening Committee shall be extended to that limit.

(2) the promotion of members of the service specified in column (2) of Schedule IV to the posts as specified in column (3) thereof the eligibility of candidate, selection process reservation in promotion and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in the Madhya Pradesh Public Service (promotion) Rules, 2002.

(3) **Certification by the Appointing Authority**—Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatian, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakahan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam and the rules by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Adhiniyam.

(4) The Departmental Promotion Committee/Screening Committee shall meet at such intervals, as the Appointing Authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

15. **Conditions of eligibility for promotion.**—(1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of the years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2).

Explanation—(1) manner of the computation of the eligibility for promotion—Period of qualifying service on 1st January, of the relevant year, in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year, in which the public servant has joined the feeder-cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) For the zone of the consideration for the promotion the provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 shall apply.

(3) No person shall be considered for the first promotion unless he has completed two years of service in the Scheduled area:

Provided that the non-posting of a person in the Scheduled area shall not operate as disqualification for his promotion.

Note.—(1) Period spent on training and probation in the Scheduled area shall be treated as service for the purpose of clause (3) above.

(2) The condition specified in clause (3) above shall not apply in the case of further promotions of persons who were promoted prior to enforcement of the said conditions.

16. **Preparation of the list of the suitable candidates.**—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of the two public servants or 25 percent number of persons, whichever is more, included in the said select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The criteria of preparation for select list shall be as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Scchedule IV at the time of preparation of each select list. Whenever promotion is to be made on the basis of merit cum seniority the select list shall be prepared as per the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

Explanation—A person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of the select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) the list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed suppression.

17. **Consultion with the commission**—The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the chairman or a member of the Commission shall be deemed to be in compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be required.

18. **Select list**—(1) Government shall consider the list prepared by the committee along with the other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Government considers it necessary to make any change in the list received from the committee he shall inform the Committee at the change proposed and after taking in to account the comments, if any of the committee, may approve the list finally with such modification if any, as may in its opinion just and proper.

(3) The list as finally approved by the Government shall form select list for promotion of the members of the service from the posts shown in column (2) of Schedule IV to the posts shown in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave laps in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Committee may, if deems fit, remove the name of such persons from the select list.

19. **Appointment to the service from the select list.**—(1) Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such persons appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult Commission before the appointment of a person whose name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointments there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Trial period.**—Every person appointed to the service by promotion shall be appointed on trial for a period of two years.

21. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favourable to the person than that provided in these rules.

23. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

24. **Repeal.**—The Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 is hereby stand repealed :

Provide that any order made or any action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(See Rules 5)

Classification, Pay Scale, Number of Posts Included in Service

Group A—Medical

Sr. No. (1)	Name of Posts included in service (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)	Remark (6)
1	Director	4	Class-I	18400—500—22400	-
2	Director, State Training and Management Institute Gwalior/Regional Director, Health Service/Director State Blood Transfusion Council/Additional Director, State Aids Cell	10	—do—	16400—450—20000	-
3	Director, State Health & Information Education and Communication Bureau	1	—do—	14300—400—18300	-
4	Joint Director, Health Services (Divisional Offices 07/Head Quarter 06).	13	—do—	12000—375—16500	-
5	Chief Medical & Health Officer (48)/ Deputy Director, Health Services/ (Divisional Office (21)/Head Quarter (09)/ Principal, Regional, Health and Family Planning Training Centre (03)/ Superintendent, Rani Durgawati Hospital, Jabalpur (01)/Superintendent, Kailash Nath Katju Hospital, Bhopal (01).	83	—do—	10650—325—15850	-
6	Leprosy Officer Grade-1	7	—do—	10650—325—15850	-
7	District Immunisation Officer	48	—do—	10000—325—15200	-
8	District Health Officer (48)/District Family Planning Officer (48)/Chief Block Medical Officer (313)/District Health and Epedamic Control Officer (20)/Assistant Director, Health Services (Head Quarter 06).	435	—do—	10000—325—15200	-
9	Superintendent T.B. Hospital (07)/Director T. B. Demonstration and Training Centre, Bhopal (01).	8	—do—	10000—325—15200	-
10	Specialist	1970	—do—		On recommendation of Screening Committee after 6 Years service in Junior grade scale, 6 years service in senior grade scale & 6 year service in selection grade scale elegible for senior grade scale, selection gradc scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection into senior and selection pay scales and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	1182	—do—	10000—325—15200	
	(b) Senior Grade Scale 23%	453	—do—	12000—375—16500	
	(c) Selection Grade Scale 15%	295	—do—	14300—400—18300	
	(d) Senior Selection Grade Scale 2%	40	—do—	16400—450—20000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Dental Specialist	06	Class-I		On recommendation of Screening Committee after 6 Years service in Junior grade scale and 4 years service in senior grade scale elegible for senior grade scale and selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection senior and selection Grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	4	—do—	10000—325—15200	
	(b) Senior Grade Scale 25%	1	—do—	12000—375—16500	
	(c) Selection Grade Scale 15%	1	—do—	14300—400—18300	
12	Medial Officer	3520			On recommendation of Screening Committee after 6 Years service in Junior grade scale, 4 years service in senior grade scale & 6 years service in selection grade scale elegible for senior grade scale, selection grade scale, senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection, senior and selection grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	2112	Class-II	8000—275—13500	
	(b) Senior Grade Scale 23%	810	Class-I	10000—325—15200	
	(c) Selection Grade Scale 15%	528	Class-I	12000—375—16500	
	(d) Senior Selection Grade Scale 2%	70	Class-I	14300—400—18300	
13	Dental Surgeon	137			On recommendation of Screening Committee after 6 Years service in Junior grade scale and 4 years service in senior grade scale elegible for senior grade scale and selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection into senior and selection grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	83	Class-II	8000—275—13500	
	(b) Senior Grade Scale 25%	34	Class-I	10000—325—15200	
	(c) Selection Grade Scale 15%	20	Class-I	12000—375—16500	

Group-B—Non Medical

S.No. (1)	Name of Posts included in service (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)
1	Joint Director (Mass Education and Media)	1	Class-I	12000—375—16500
2	Joint Director (Planning and Management)	1	—do—	12000—375—16500
3	Deputy Director (Health Education Bureau)	1	—do—	10000—325—15200
4	Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/Deputy director (Demography).	2	—do—	10000—325—15200
5	Deputy Director (Establishment and Administration)/Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/Deputy Director (Law and Legal works).	3	—do—	10000—325—15200
6	Entomologist	1	—do—	10000—325—15200
7	Executive Engineer (Transport)	1	—do—	10000—325—15200
8	Statistical Officer	7	Class-II	8000—275—13500
9	Finance Officer/Accounts Officer/Store Officer	3	—do—	8000—275—13500
10	Administrative Officer	54	—do—	8000—275—13500
11	Accounts Officer (Head Quarter 01/ Divisional Office-07).	8	—do—	8000—275—13500
12	Cold Chain Officer	1	—do—	8000—275—13500
13	District Malaria Officer/Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Falaria).	45	—do—	8000—275—13500
14	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/Communication Officer/ Health Education Officer/Health Education Instructor/Social Science Instructor.	52	—do—	8000—275—13500
15	Publicity Officer/Editor	1	—do—	6500—200—10500
16	Assistant Engineer (Transport)/Assistant Engineer (Store).	6	—do—	6500—200—10500
17	Social Scientist	1	—do—	6500—200—10500
18	Management Instructor	3	—do—	8000—275—13500
19	Sanitory Engineer	4	—do—	8000—275—13500
20	Physiotherapist	2	—do—	6500—200—10500
21	Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination)/Deputy district Extension and Media Officer (health Education)/Deputy district extension and Media Officer.	78	—do—	5500—175—9000
22	Senior Sanitory Officer	1	—do—	5500—175—9000

Group 'C'—Nursing Services

S. No. (1)	Name of Posts included in service (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)
1	Deputy Director Health Services (Nursing)	1	Class-I	10000—325—15200
2	Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain.	1	—do—	10000—325—15200
3	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/Public Health Nurse/Public Health Nurse Instructor/Public Health Nurse Educator.	82	Class-II	8000—275—13500
4	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	1	—do—	8000—275—13500
5	Principal, L.H.V. Training School, Jabalpur/ Principal, Female Training Schools/Senior Sister Tutor.	30	—do—	6500—200—10500
6	Nursing Superintendent Grade-II	13	—do—	6500—200—10500

SCHEDULE-II

(See Rule-6)

Method of Recruitment

Group 'A'—Medical

Sr. No. (1)	Name of Post (2)	Name of Service (3)	Total No. of Duty Post (4)	Percentage of the Number of duty post to be filled: By Direct Recruitment [See Rule 6(1)(a)] (5)	By Promotion [See Rule 6(1)(b)] (6)	by Transfer of persons from other services [See Rule 6(1)(c)] (7)	Remarks (8)
1	Director	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	4	-	100%	-	
2	Director, State Training and Management Institute, Gwalior/Regional Director, Health Services/ Director, State Blood Transfusion Council/Additional Director, State Aids Cell.	—do—	10	-	100%	-	
3	Director, State Health & Information Education and Communication Bureau, Bhopal.	—do—	1	-	100%	-	
4	Joint Director, Health Services	—do—	13	-	100%	-	
5	Chief Medical & Health Officer/ Deputy Director, Health Services/ (Head Quarter and Divisional Office/Principal Regional, Health and Family Planning Training Centre/ Superintendent, Rani Durgawati Hospital, Jabalpur/Superintendent, Kailash Nath Katju Hostipal, Bhopal.	—do—	83	-	100%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Leprosy Officer Grade-I	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	7	-	100%	-	
7	District Immunisation Officer.	—do—	48	-	100%	-	
8	District Health Officer/ District Family Planning Officer/Chief Block Medical Officer/District Health and Epedamic Control Officer/Assistant Director, Health Services (Head Quarter).	—do—	435	-	100%	-	
9	Superintendent T.B. Hospital/Director T.B. Demonstration and Training Centre, Bhopal	—do—	8	-	100%	-	
10	Specialist	—do—	1970	-	100%	-	
11	Dental Specialist	—do—	6	-	100%	-	
12	Medical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-II.	3520	-	100%	-	
13	Dental Surgeon	—do—	137	-	100%	-	

Group 'B'—Non Medical

S. No.	Name of Post	Name of Service	Total No. of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct Recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By Promotion [See Rule 6(1)(b)]	By Transfer of persons from other Services [See Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Joint Director (Mass Education and Media).	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	1	-	100%	-	If suitable candidate not available by promotion then the post can be filled up by the deputation from public relation Department.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Joint Director (Planning and Management).	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	1	-	100%	-	If suitable candidate not available by promotion then the post can be filled up by the deputation from finance Department (Treasury and Accounts Directorate).
3	Deputy director (Health Education Bureau).	—do—	1	-	100%	-	
4	Deputy director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography).	—do—	2	-	100%	-	
5	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy director (Law and Legal works).	—do—	3	-	100%	-	
6	Entomologist	—do—	1	-	100%	-	
7	Executive Engineer (Transport).	—do—	1	-	-	100%	By transfer from PWD/Water Resources or any other department of the Government who have degree in Mechnical Engineering or diploma in automobile Engineering.
8	Statistical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-II	7	25%	75%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Finance Officer/ Accounts Officer/ Store Officer.	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted Services Class-II)	3	-	100%	-	
10	Administrative Officer	—do—	54	25%	75%	-	
11	Accounts Officer	—do—	08	-	-	100%	From Madhya Pradesh Finance & Accounts Service Officers
12	Cold Chain Officer	—do—	01	100%	-	-	
13	District Malaria Officer/ Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Falaria)	—do—	45	25%	75%	-	
14	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/Social Science Instructor	—do—	52	20%	80%	-	
15	Publicity Officer/Editor	—do—	01	-	100%	-	
16	Assistant Engineer (Transport)/Assistant Engineer (Store)	—do—	06	-	100%	-	
17	Social Scientist	—do—	01	-	100%	-	
18	Management Instructor	—do—	03	100%	-	100%	
19	Sanitory Engineer	—do—	04	-	100%	-	
20	Physiotherapist	—do—	02	-	100%	-	
21	Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination)/Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/Deputy District Extension and Media Officer.	—do—	78	-	100%	-	
22	Senior Sanitory Officer	—do—	01	-			

Group 'C'—Nursing Service

S. No.	Name of Post	Name of Service	Total No. of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct Recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By Promotion [See Rule 6(1)(b)]	By Transfer of persons from other Services [See Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Deputy Director Health Services (Nursing)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	01	-	100%	-	
2	Principal, Regional Public Health Teacher Training Institute, Ujjain.	—do—	01	-	100%	-	
3	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/Public Health Nurse/Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator.	—do—	82	25%	75%	-	
4	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-II	01	-	100%	-	
5	Principal L. H. V. Training School, Jabalpur / Principal Female Training Schools/ Senior Sister Tutor.	—do—	30	-	100%	-	
6	Nursing Superintendent Grade-II	—do—	13	-	100%	-	

SCHEDULE-III

(See Rule-8)

Age and qualification of persons being directly recruited

Group 'A'—Medical

Sr. No. (1)	Name of Post (2)	Manimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Prescribed Education Qualification (5)	Remarks (6)
1	Medical Officer	21 Years	32 Years	MBBS or equivalent qualification recognised by Medical Council of India.	
2	Dental Surgeon	21 Years	32 Years	BDS Degree or any equivalent degree from a recognised University.	

Group 'B'—Non Medical

Sr. No. (1)	Name of Post (2)	Manimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Prescribed Education Qualification (5)	Remarks (6)
1	Statistical Officer	21 Years	30 Years	M. A. (Statistics) Preferably Ph. D./ with Diploma in Health Statistics.	
2	Administrative Officer.	25 Years	40 Years	Graduate with 5 years Supervisory experience and Accounts trained, Preference will be given to SAS qualified persons.	
3	Cold Chain Officer	21 Years	30 Years	A University Degree in Mechanical or Refregeration Engineering with one year experience or Diploma in Refregration Engineering in maintainance and operation of Refrigeration equipments.	
4	District Malaria Officer/Biologist/ Assistant Entomologist (Malaria-Falaria).	21 Years	30 Years	M. Sc. (Entomology) or M. Sc. (Zoology), Preference will be given to M. Sc. (Entomology).	
5	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/Health Education Officer/ Health Education Instructor/Social Science Instructor.	21 Years	30 Years	M. A. in Sociology with preferance for Diploma in Health Education/ Diploma in Journalism from Indian Institute of Mass Communication.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Management Instructor	21 Years	30 Years	Master Degree in Public Administration/ Business Administration from recognised University, Preference will be given to candidates having teaching and supervisory experience.	

Group 'C'—Nursing Services

Sr. No. (1)	Name of Post (2)	Manimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Prescribed Education Qualification (5)	Remarks (6)
1.	Public Health Nursing Officer/ District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/Public Health Nurse Educator.	28 Years	40 Years	B. Sc. Nursing or Certificate in Public Health Nursing from any recognised institution, Ten years experience in Nursing Services.	

Note.—According to General Administration Department's memo No. C-3-5/2001/3/1 dated 17 August, 2004, the upper age limit shall be 35 years for bonafide residents of Madhya Pradesh for those posts for which upper age limit is prescribed 30 years. Concession granted by Government for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward classes candidates and women and widow, distitute and divorced women candidates shall be as usual *i.e.* they shall get concession as usual beyond maximum age limit 35 years.

SCHEDULE-IV

(See Rule-13 and 14)

SERVICE EXPERIENCE FOR PROMOTION AND MEMBER OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

Group 'A'—Medical

Sr. No. (1)	Name of Post or Service from which promotion is to be made (2)	Name of post to which promotion is to be made (3)	Essential qualification, if any, and other experience in the post from which promotion is to be made (4)	Name of Members of the Departmental Promotion Committee (5)
1	Director State Training and Management Institute Gwalior/Regional Director, Health Services/Director State Blood Transfusion Council/Additional director, State Aids Cell.	Director	Two years, In case suitable officers are not available on posts shown in column (2), these post can be filled up by promotion of Joint Directors, Health Services, who have five years experience.	1. Chief Secretary-Chairman 2. A Senior Additional Chief Secretary/Principal Secretary of the Government nominated by the Chief Secretary-Member. 3 Additional Chief Secretary/Principal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department -Member. 4. Additional Secretary/ Deputy Secretary, Public Health and Family Welfare Department -Co-ordinator.
2	Joint Director, Health Services (Divisional Offices & Head Quarter).	Director State Training and Management Institute Gwalior/ Regional Director, Health Service/Director State Blood Transfusion Council/Additional Director, State Aids Cell.	Three years	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him-Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department-Member. 3. Commissioner, Health Services-Member
3	Chief Medical & Health Officer/Deputy Director Health Services/Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre/ Superintendent, Rani Durgawati Hospital Jabalpur/Superintendent, Kailash Nath Katju Hospital, Bhopal.	Joint Director, Health Services.	Three years	—do—
4	District Health Officer/ District Family Welfare Officer/Chief Block Medical Officer/District Health and Epedamic Control Officer/ District Immunization Officer/Assistant Director, Health Services (Head Quarter)/ Superintendent T. B. Hospital/Director T. B. Demonstration and Training Centre, Bhopal.	Chief Medical & Health Officer/Deputy Director Health Services/Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre/Superintendent, Rani Durgawati Hospital, Jabalpur/Superintendent, Kailash Nath Katju Hospital, Bhopal (25% Post Promotion from specialist remaining 75% post from persons appointed in posts shown in column No. (2) of Serial No. 4.	Three years	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Medical Officer	Laprosy Officer Grade-1	Six years experience in leprosy work.	—do—
6	Medical Officer	District Immunisation Officer.	Five years experience as Medical Officer after postgraduate degree in Pediatrics or Preventive & Social Medicine or Seven years experience as Medical officer after Postgraduate diploma in Pediatrics or Preventive and Social Medicine.	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him-Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department-Member. 3. Commissioner, Health Services-Member
7	Medical Officer	District Health Officer/ District Family Welfare Officer/Chief Block Medical Officer/District Health and Epedamic Control Officer/Assistant Director, Health Services (Head Quarter)	Ten years	—do—
8	Medical Officer	Superintendent, T. B. Hospital/Director, T. B. Demonstration and Training Centre Bhopal.	Five years experience as Medical Officer after obtaining postgraduate degree in Chest disease or seven years experience as Medical Officer after obtaining postgraduate diploma in Tuberculosis and chest disease.	—do—
9	Medical Officer	Specialist	Five years experience as Medical Officer after obtaining postgraduate degree in Speciality or seven years experience as Medical Officer after obtaining postgraduate diploma in speciality from recognised university.	—do—
10	Dental Surgeon	Dental Specialist	Five years experience as Dental Surgeon after obtaining postgraduate Degree (M.D.S.) or ten years experience as Dental Surgeon.	—do—

Group 'B'—Non-Medical

Sr. No.	Name of Post or Service from which promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Essential Qualification, if any and other experience in the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deputy Director (Health Education Bureau)	Joint Director (Mass Education and Media)	Three years	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him-Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary / Secretary, Public Health and Family Welfare Department-Member 3. Commissioner, Health Services-Member.
2	Deputy Director (Establishment and Administration)/Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works)/Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography).	Joint Director (Planning and Management)	Three years	—do—
3	District Extension and Media Officer/Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor.	Deputy Director Health Services (Health Education Bureau)	Three years	—do—
4	Statistical Officer	Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	Three years	—do—
5	Administrative Officer/ Accounts Officer/Store Officer.	Deputy Director (Establishment and Administration)/Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works).	Three years	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	District Malaria Officer/ Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Falaria).	Entomologist	Five years	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service commission or member nominated by him-Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary, Public Health and Family Welfare Department-Member 3. Commissioner, Health Services-Member.
7	Assistant Statistical Officer (Class III Service)	Statistical Officer	Five years	—do—
8	Store Inspection officer/ Superintendent/Junior Account Officer/Senior Auditor (Directorate)/ Assistant Superintendent/ Assistant Grade-I (Directorate)/Senior Auditor (Divisional)/Junior Auditor (Directorate)/Manager, Medical Store/Camp Co-ordinator/Assistant Statical Officer/Senior Personnel Assistant (Class-III Service).	Administrative Officer/ Finance Officer/Accounts Officer/Store officer.	1. Three years experience as Store Inspection Officer/ Superintendent/ Junior Accounts Officer. 2. Five years experience as Assistant Superintendent/ Senior Auditor (Directorate)/ Assistant Statical officer. 3. Seven years experience as Assistant Grade-1/ Senior Auditor (Divisional)/ Manager, Medical Store/Junior Auditor (Directorate)/ Camp Co-ordinator. Note.—5 Post of Administrative officer shall be filled by promotion of assistant statical officer and 1 post shall be filled by promotion of senior personnel assistant.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Assistant Malaria officer (Class III Service)	Distirct Malaria Officer / Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Falaria).	Three years in (Graduate science)	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service commission or member nominated by him-Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary, Public Health and Family Welfare Department-Member 3. Commissioner, Health Services-Member.
10 (1)	Deputy District Extension and Media Officer/Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination). (2) Assistant Statical Officer.	District Extension and Media Officer/Exhibition Officer/Communication Officer/Health Education Officer/Health Education Instructor/Social Science Instructor. Note.—5 Post of District extension and Media officer/Exhibition officer/ communication officer/ Health Education Officer / Health Education Instructor/Social Science Instructor shall be filled by promotion of Assistant Statical Officer, who hold post graduate degree in sociology.	Three years	—do—
11	Publicity Assistant/Sub Editor (Class III Service)	Publicity Officer/Editor	Three years	—do—
12	Sub Engineer Technical (Class-III)	Assistant Engineer Transport/Assistant Engineer (Stores)	Five years	—do—
13	Medico Social Worker (Class-III Service)	Social Scientist	Five years	—do—
14	Physio theraphy Technician (Class III Service)	Physio Theropist	Five years	—do—
15	Block Extension Educator/ Health Education Extension Officer (Class III Service)	Deputy District Extension and Media officer/Deputy District Extension and Media officer (Health Education)/Deputy District Extension and Media officer (co-ordination).	Six years	—do—
16	Community Health officer (Class III Service)	Senior Sanitary officer	Three years	—do—

Group-"C" Nursing Services

Sr. No.	Name of post of Service from which promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Essential Qualification, if any, and other experience in the post from which promotion is to be made	Name of Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/Public Health Nurse/Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator/ Principal. Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	Deputy Derector Health Services (Nursing)/ Principal. Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain.	1. Five Years experience on any of post shown in column (2) for Deputy Director, Health Service (Nursing) 2. For Principal Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain in addition to above, degree in B.Sc. (Nursing), Preference will be given to post graduate in Nursing,	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him- Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services - Member.
2	Senior Sister Tutor/ Nursing Superintendent Grade-2/Principal, L.H.V. Training School, Jabalpur/ Principal, Female Health Worker Training School/.	Principal Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	B.Sc. (Nursing) or Public Health (Nursing) Diploma and Five years teaching experience.	-do-
3	(A) Senior Sister Tutor/ Principal L.H.V. Training school Jabalpur/Principal Female Health Worker Training school (Class II Service). (B) Public Health Tutor/ Sister Tutor (Class III Service).	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator.	1. B.Sc. (nursing) degree of Diploma in Public Health or Nursing Education or Nursing Administration. 2. Two years experience for Senior sister Tutor/Principal Promotee School, Jabalpur/ Principal Female Health Worker Training School. 3. Five year experience for Public Health Tutor/Sister Tutor.	-do-
4	Sister Tutor/Public Health Tutor (Class III Service).	Principal, L.H.V. Training School Jabalpur/Principal, Female Health Worker Training School.	Three Years Experience Only those public Health Tutor/ Sister Tutor will be eligible who have B.Sc. (Nursing) degree or diploma in Public Health or Nursing Education or Nursing Administration.	-do-
5	Matron	Nursing Superintendent Grade-2	Three years	-do-
6	Sister Tutor (Class III Service)	Senior Sister Tutor	Five Years	-do-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C.B. SINGH, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 1989

क्र. 3560-7755-सत्रह-मेडि.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं) के तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा में भरती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भरती नियम, 1989 है.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की गई हों ;

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिए नियम 11 के अधीन ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा ;

(ग) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(घ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ङ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा.

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों ;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गए हों, और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भरती किए जाएं.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) उन अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता के आधार पर सीधी भरती द्वारा जिन्होंने विहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है और नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदित किए गए हैं ;

(ख) अनुसूची चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पद, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मूलतः या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी विशिष्ट पद या पदों को, जो किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के लिए अपनाई जाने वाली रीति या रीतियां और प्रत्येक रीति से भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उप नियम "एक" में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक प्रशासन सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भरती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किये जायें.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में की समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा चयन किए जाने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् आवंटन से या चयन से नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए अर्थात् :—

(एक) आयु.—(क) उसने चयन/नियुक्ति की तारीख की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा भी नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) अस्थायी पद धारण करने वाले और अन्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छह मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु इसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो या जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किए गए हों; और—

(क) अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) भरती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिए गए हों;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा के पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं);

(पांच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह-मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लगने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(घ) विधवा अभ्यर्थियों की सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी.

(ङ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण स्कीम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण किए हों, सामान्य उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(च) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(छ) उन खिलाड़ी अभ्यर्थियों के संबंध में जिन्होंने "विक्रम-पुरस्कार" प्राप्त किया हो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मंडलों के कर्मचारी हों, उच्चतर आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(झ) स्वयंसेवी होम गार्ड्स एवं नान कमीशंड अधिकारियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा की गई सम्पूर्ण सेवा के संबंध में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी परन्तु ऐसी छूट दी जाने पर नगर सैनिकों/नान कमीशंड अधिकारियों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पणी .—(1) ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें ऊपर उप नियम (1) के खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया है, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् वे परीक्षा/चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं. तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से उनकी छंटनी की जाती है.

(2) किसी अन्य मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी.

(3) विभागीय अभ्यर्थियों की परीक्षा/चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं .—अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में यथा दर्शायी गई शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

परन्तु :—(क) आपवादिक मामलों में, चयन समिति किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हताएं मान सकेगी, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो समिति की राय में परीक्षा/चयन के लिए अभ्यर्थी के संबंध में विचार करने को न्यायोचित ठहराता हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों का, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है. डिग्री प्राप्त की है चयन समिति के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश के लिए/चयन के लिए विचार किया जा सकेगा.

(तीन) फीस—अभ्यर्थियों को, सरकार द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता .—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को चयन समिति द्वारा उसके परीक्षा में प्रवेश के लिए/चयन के लिए निरर्हकारी ठहराया जा सकेगा.

10 अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में चयनसमिति का विनिश्चय अंतिम होगा .—परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है. परीक्षा में बैठने के लिए साक्षात्कार के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. (क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती .—(1) सेवा में भरती के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(2) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत स्थान उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिनका प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया गया है यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपनियम (2) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां अन्य सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी तथा आगामी परीक्षा के दौरान, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त आरक्षित रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या अग्रनीत (करिड-फारवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

11. (ख) चयन द्वारा सीधी भरती .— (1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसा नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(2) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत स्थान उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिनका प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के लिए सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जाए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपनियम (2) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां अन्य सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी तथा आगामी चयन के दौरान, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या अग्रनीत (कैरिडकारवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

11. (ग) प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की आवंटन द्वारा सीधी भरती —सेवा में भरती के प्रयोजनों के लिए, राज्य परिचर्या प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु वर्ष में एक या अधिक बार, जैसा कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए, चयन किया जायगा:—

(1) चयन समिति में अनुसूची तीन के कालम (6) में यथा विनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे.

(2) चयन के लिये प्रक्रिया संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासकीय आदेशों के अनुसार विहित की जाएगी.

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों या सूची में से योग्यता क्रम के अनुसार चयन किया जावेगा. चयन समिति आवेदन पत्रों के साथ-साथ मूल प्रमाण-पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी.

(4) यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा परन्तु चयन की पात्रता के लिए विहित मानक के अनुसार, कुल अंकों के 20 प्रतिशत से अनधिक अंक प्रदाय किए जा सकेंगे.

(5) परिचारिकाओं की सीधी भरती केवल प्रशिक्षण के पश्चात् ही की जानी होती है अतः प्रशिक्षण के लिए चयन करते समय ही सभी अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन किया जाना चाहिये ताकि कर्मचारी की नियुक्ति के समय फिर से उसी अपेक्षा का अनुपालन न करना पड़े, जब तक कि इसके लिए कोई विशिष्ट कारण विद्यमान न हो.

(6) प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कुल स्थानों के 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्यतः आरक्षित रखे जाएंगे.

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(8) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिनका प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उप नियम (6) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(9) यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां अन्य सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी तथा आगमी परीक्षा के लिए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उतनी संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या अग्रनीत

(कैरिड फारवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए किसी भी समय विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

12. नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(एक) चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से, जैसा समिति अवधारित करे, अर्ह हों, तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों, फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किए गए हों, योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. इस सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा.

(दो) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए सूची में से अभ्यर्थियों का उस क्रम में विचार किया जावेगा जिसमें उनके नाम सूची में आए हैं.

(तीन) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(चार) समिति द्वारा तैयार की गई चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए विधिमान्य रहेगी.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(एक) पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे.

(दो) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अंतरालों में अपनी बैठक करेगी.

(तीन) ऐसे पदों में, जिसमें पदोन्नति की प्रतिशतता 33⅓ या उससे अधिक है, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जो नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हों.

(चार) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, उन पदों पर, या सेवाओं में उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में), जैसा अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट है, या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किया गया है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारण के क्षेत्र (जोन आफ कन्सीडरेशन) के भीतर आते हों:

परन्तु आपातकालीन कमीशन या अल्पकालीन सेवा कमीशन से निर्मुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/एक-(3)-67, तारीख 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा गया हो:

परन्तु यह भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि उसने इस उप नियम के अधीन सेवा पूर्ण कर ली है उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

(2) चयन के लिए विचारण का क्षेत्र "योग्यता तथा वरिष्ठता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में, चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के सामान्यतः सात गुना और "वरिष्ठता तथा योग्यता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में, चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के सामान्यतः पांच गुना तक सीमित होगा:

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित विचारण के क्षेत्र में उपर्युक्त कर्मचारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो क्षेत्र को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जिस सीमा तक समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए, आवश्यक समझा जाए.

15. उपर्युक्त व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना.—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्त को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराए गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के लिए पच्चीस प्रतिशत की एक आरक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी.

(2) सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए सभी दृष्टि से योग्यता और उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों के नाम प्रत्येक चयन सूची बनाते समय अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा या पद की वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान समनुदेशित किया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण .—ऐसे किसी व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो परन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का दावा नहीं रहेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि इस प्रकार के पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी निचले काडर के सदस्य को अतिष्ठित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

16. चयन सूची .—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित की गई सूची, सेवा के सदस्यों की अनुसूची चार के कालम (2) में वर्णित पदों से अनुसूची चार के कालम (3) में वर्णित पदों पर पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधि मान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर समिति द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा तथा समिति यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—(1) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्तियां सेवा संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों पर उसी क्रम से की जाएंगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हों.

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी, की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो.

18. परिवीक्षा .—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

19. निर्वचन .—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका इस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

20. शिथिलीकरण .—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

21. व्यावृत्ति .—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों के लिए उपबंध किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी.

22. निरसन .—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपाल सिंह, उपसचिव

अनुसूची—एक

(नियम 2 तथा 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान परिचारिका/सहायक प्रधान परिचारिका (मेट्रन/असिस्टेन्ट मेट्रन).	54	तृतीय श्रेणी	1350—2220	संचालक चिकित्सा सेवायें
2	(क) नर्सिंग सिस्टर	425	तृतीय श्रेणी	1290—2050	तदैव
	(ख) हाउस कीपर	17	तृतीय श्रेणी	1290—2050	तदैव
3	(क) स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स)	1821	तृतीय श्रेणी	1200—1840	संभागीय संयुक्त संचालक
	(ख) वार्डन	10			
	(ग) लोक स्वास्थ्य परिचारिका (पब्लिक हेल्थ नर्स)	2			
	(घ) परिचर्या पर्यवेक्षक (नर्सिंग सुपरवाइजर)	37			
	(ङ) शल्यक्रिया कक्ष परिचारिका (आपरेशन थियेटर नर्स).	48			
	(च) नर्सिंग अर्दली	11			
	(छ) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ-विजीटर) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षित 1-4-1981 के पूर्व नियुक्त तथा समान वेतनमान के.	290			
4	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजीटर)	212	तृतीय श्रेणी समाप्त होने वाला संवर्ग (डाइंग केडर)	975—1650	पद नहीं भरा जाना है.
5	प्रसाविका (ए. एन. एम.) (मिडवाईफ ए. एन. एम.)	1971	तृतीय श्रेणी समाप्त होने वाला संवर्ग (डाइंग केडर)	870—1420	
			नर्सिंग शिक्षा		
6	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	111	तृतीय श्रेणी	1290—2050	संचालक चिकित्सा सेवायें
7	लोक स्वास्थ्य शिक्षिका (पब्लिक हेल्थ ट्यूटर)	150	तृतीय श्रेणी	1290—2050	तदैव

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिए)

भरती का तरीका

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भरती द्वारा [देखिए नियम 6 (1)]	सेवा में के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिए नियम 6 (ख)]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [देखिये नियम 6 (ग)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			नर्सिंग सेवा			
			प्रतिशत	प्रतिशत		
1	प्रधान परिचारिका / सहायक प्रधान परिचारिका (मेट्रन / असिस्टेन्ट मेट्रन)	54	..	100	..	..
2	(क) नर्सिंग सिस्टर (ख) हाउस कीपर	425 17	5	95	..	अंत: अंतरणीय संवर्ग.
3	(क) स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स)	1821				
	(ख) वार्डन	10				
	(ग) लोक स्वास्थ्य परिचारिका (पब्लिक हेल्थ नर्स)	2				
	(घ) परिचर्या पर्यवेक्षक (नर्सिंग सुपरवाइजर)	37	90	10	..	
	(ङ) शल्यक्रिया कक्ष परिचारिका (आपरेशन थियेटर नर्स)	48	प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के, पश्चात गुणा व गुण के आधार पर आवंटन से नियुक्ति.			
	(च) नर्सिंग अर्दली)	11				
	(छ) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लडी हेल्थ विजीटर) (जनरल नर्सिंग प्रशिक्षित) 1-4-81 के पूर्व नियुक्त तथा समान वेतनमान वाले.	290				महिला स्वास्थ्य परिदर्शक के ऐसे पद जिनका वेतनमान स्टाफ परिचारिका के समान हो, भविष्य में भरे नहीं जाएंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजीटर).	212	समाप्त होने वाला संवर्ग (डाइंग केडर).	..	..	अलिपिक वर्गीय सेवा भरती नियमों में इन पदों को विभिन्न रूप में पदाभिनामित किया गया है.
5	प्रसाविका (ए. एन. एम.) (मिडवाईफ ए. एन. एम.).	1971	समाप्त होने वाला संवर्ग (डाइंग केडर)	..	..	..
			नर्सिंग शिक्षा			
6	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर).	111	10 प्रतिशत (चयन द्वारा).	90 प्रतिशत (चयन द्वारा).	..	..
7	लोक स्वास्थ्य शिक्षिका (पब्लिक हेल्थ ट्यूटर).	150	10 प्रतिशत (चयन द्वारा).	90 प्रतिशत	..	..

टिप्पण.—सामान्यतया, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षित नर्सों को नियुक्ति स्टाफ नर्स के पद पर की जाती है. इसके अतिरिक्त जब तक विभाग में ए. एन. एम. प्रशिक्षित (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (2 वर्ष या 10 मास का पाठ्यक्रम) प्रशिक्षित साथ ही हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध हैं उन्हें क्रमशः 2½ वर्ष या 2 वर्ष का विभागीय जनरल प्रशिक्षण दिए जाने के पश्चात् स्टाफ नर्स के पद पर पदोन्नत किया जाएगा.

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं एवं प्रशिक्षण	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				नर्सिंग सेवा	संचालनालय स्तर की चयन समिति
1 (अ)	नर्सिंग सिस्टर	25 वर्ष	35 वर्ष	स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. नर्सिंग) या स्नातक.	नर्सिंग सिस्टर (हाउस कीपर) सिस्टर शिक्षिका.
(ब)	हाउसकीपर			(क) बी.एस.सी. (नर्सिंग) या (ख) पोस्टबेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग), या	लोक स्वास्थ्य शिक्षिका हेतु चयन समिति— 1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक या संयुक्त संचालक, नर्सिंग प्रशासन—अध्यक्ष 2. उप संचालक (नर्सिंग)—सदस्य 3. सहायक नर्सिंग सलाहकार—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण साथ ही 1. अनुसूची—एक की क्रम संख्या 3 के अनुसार स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव एवं 2. पंजीकृत नर्स पंजीकृत मिडवाइफ महाकौशल नर्सिंग कौंसिल से.	1. वरिष्ठतम संयुक्त संचालक या संयुक्त संचालक, नर्सिंग प्रशासन —अध्यक्ष. 2. उप संचालक (नर्सिंग)—सदस्य. 3. सहायक नर्सिंग सलाहकार—सदस्य.
				नर्सिंग शिक्षा	
2	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	25 वर्ष	35 वर्ष	1. स्नातकोत्तर (एम. एस. सी.) (नर्सिंग), या 2. स्नातक (क) बी. एस. सी. (नर्सिंग), या (ख) पोस्टबेसिक बी. एस. सी. (नर्सिंग), या जनरल ट्यूटर का प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण, साथ ही— 1. स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव, एवं 2. महाकौशल नर्सिंग काउन्सिल से पंजीकृत परिचारिका प्रसाविका.	तदैव
3	लोक स्वास्थ्य शिक्षिका (पब्लिक हेल्थ ट्यूटर).	25 वर्ष	35 वर्ष	1. स्नातकोत्तर (एम. एस. सी.) (नर्सिंग), या 2. स्नातक (क) बी. एस. सी. (नर्सिंग), या (ख) पोस्टबेसिक बी. एस. सी. (नर्सिंग) या 3. लोक स्वास्थ्य शिक्षिका का प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. साथ ही— 1. स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष का अनुभव, एवं 2. महाकौशल नर्सिंग काउन्सिल से पंजीकृत परिचारिका प्रसाविका.	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			नर्सिंग सेवा		
4	स्टाफ परिचारिका/ वार्डन/ लोक स्वास्थ्य परिचारिका (पब्लिक हेल्थ नर्स)/ शल्यक्रिया कक्ष परिचारिका (आपरेशन थियेटर नर्स)/ परिचर्या पर्यवेक्षक (नर्सिंग सुपरवाइजर)/ नर्सिंग अर्दली	18 वर्ष	30 वर्ष	1. स्नातक बी. एस. सी. (नर्सिंग) या 2. जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण साथ ही महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका प्रसाविका.	स्टाफ परिचारिका (वार्डन) लोक स्वास्थ्य परिचारिका/ (शल्यक्रिया कक्ष परिचारिका) परिचारी पर्यवेक्षक नर्सिंग अर्दली के पद पर नियुक्ति हेतु विहित प्रशिक्षण./ (जनरल नर्सिंग) ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षण के लिए चयन समिति (क) चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध अध्यापन चिकित्सालय के लिए:- 1. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विभाग—अध्यक्ष 2. प्राध्यापक, सोशल एवं प्रिवेन्टिव मेडीसिन या सहायक प्राध्यापक—सदस्य 3. ज्येष्ठ सिस्टर शिक्षिका या ज्येष्ठतम सिस्टर शिक्षिका—सदस्य 4. नर्सिंग अधीक्षक या मेट्रन—सदस्य (ख) जिला चिकित्सालय (प्रशिक्षण-केन्द्र) के लिए— 1. ज्येष्ठतम जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी—अध्यक्ष. 2. अधीक्षक, जिला चिकित्सालय स्त्रीरोग विशेषज्ञ—सदस्य. 3. ज्येष्ठ सिस्टर शिक्षिका या ज्येष्ठतम सिस्टर शिक्षिका—सदस्य 4. नर्सिंग अधीक्षक या मैट्रन—सदस्य

अनुसूची—चार

(नियम 14 देखिये)

पदोन्नति की प्रणाली, अनुभव, अर्हताएं और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	अपेक्षित अनुभव एवं अर्हताएं	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		नर्सिंग सेवा		(क) संचालनालय स्तर
1	नर्सिंग सिस्टर / हाउस कीपर	प्रधान परिचारिका / सहायक प्रधान परिचारिका (मेट्रन/सहायक मेट्रन)	5 वर्ष	1. ज्येष्ठतम संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाए (मुख्यालय)—अध्यक्ष. 2. संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग प्रशासन)—सदस्य. यदि वह ज्यष्ठतम न हो तो अन्य उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय)—सदस्य होंगे. 3. उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग)—सदस्य. 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार—सदस्य.
2	स्टाफ परिचारिका / (स्टाफ नर्स) /वार्डन/ लोक स्वास्थ्य परिचारिका (पब्लिक हेल्थ नर्स) / शल्य क्रिया कक्ष परिचारिका (आपरेशन थियेटर नर्स) / परिचर्या पर्यवेक्षक (नर्सिंग सुपरवाईजर) / नर्सिंग अर्दली/ महिला स्वास्थ्य परिदर्शक लेडी हेल्थ विजीटर (जी. एन. ट्रेन्ड) स्कीम में 1-4-81 के पूर्व नियक्त	नर्सिंग सिस्टर / हाउस कीपर	5 वर्ष	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			नर्सिंग शिक्षा	संचालनालय स्तर (क)
3	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स) /वार्डन/ लोक स्वास्थ्य परिचारिका (पब्लिक हेल्थ नर्स)/ शल्यक्रिया कक्ष परिचारिका (आपरेशन थियेटर नर्स)/ परिचर्या पर्यवेक्षक (नर्सिंग सुपरवाईजर)/ महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजीटर) / नर्सिंग अर्दली.	सिस्टर शिक्षिका (सिस्टर ट्यूटर)	1. 5 वर्ष 2. बी. एस. सी. (नर्सिंग) या पोस्टबेसिक बी. एस. सी. (नर्सिंग) या सिस्टर ट्यूटर का प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. 3. महाकौशल नर्सिंग काउन्सिल में पंजीकृत परिचारिका (नर्स) प्रसाविका.	1. ज्येष्ठतम संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय)—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग प्रशासन)—सदस्य (यदि वह ज्येष्ठतम न हो तो अन्य उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं विधि/सतर्कता (मुख्यालय)—सदस्य होंगे 3. उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग)—सदस्य 4. सहायक नर्सिंग सलाहकार—सदस्य
4	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स)/ वार्डन/ लोक स्वास्थ्य परिचारिका (पब्लिक हेल्थ)नर्स/ शल्यक्रिया कक्ष परिचारिका (आपरेशन थियेटर नर्स)/ परिचर्या पर्यवेक्षक (नर्सिंग सुपरवाईजर)/ नर्सिंग अर्दली / महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजीटर)	लोक स्वास्थ्य शिक्षिका (पब्लिक हेल्थ ट्यूटर)	1. 5 वर्ष 2. बी. एस. सी. (नर्सिंग) या पोस्टबेसिक बी. एस. सी. (नर्सिंग) या लोक स्वास्थ्य शिक्षिका का प्रमाण-पत्रोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. 3. महाकौशल परिचर्या, परिषद से पंजीकृत परिचारिका (नर्स)प्रसाविका.	तदैव
				संभागीय स्तर समिति (ख)
			नर्सिंग सेवा	
5	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजीटर)/ सहायक नर्स सह प्रसाविका (एक्जलरी नर्स मिडवाइफ)/ (2 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण)	स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स)/ वार्डन/ लोक स्वास्थ्य परिचारिका (पब्लिक हेल्थ नर्स)/ शल्यक्रिया कक्ष परिचारिका (आपरेशन थियेटर नर्स)/ परिचर्या पर्यवेक्षक (नर्सिंग सुपरवाईजर)/ नर्सिंग अर्दली	1. 5 वर्ष 2. जनरल नर्सिंग एवं प्रसूति विज्ञान का विभागीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण 3. महाकौशल परिचर्या परिषद से पंजीकृत परिचारिका (नर्स) प्रसाविका.	1. संभाग का ज्येष्ठतम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी—अध्यक्ष. 2. संभाग का ज्येष्ठतम जिला परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य अधिकारी—सदस्य. 3. जिला चिकित्सालय की नर्सिंग अधीक्षक या मेट्रन—सदस्य.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 1989

क्र. 4009-7755-सत्रह-मेडि-आई.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3560-7755- XVII-M.I., दिनांक 1 अगस्त 1989 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपाल सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 1st August 1989

No. 3560-7755-XVII-M.I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules for regulating the recruitment of Nurses (Directorate of Health Services) Class-III Service of Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department.

1. **Short title.**—These Rules may be called the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class-III Nurses Service Recruitment Rules, 1989.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" in respect of service means the authority who has been delegated by the Government with powers for making appointments on that service or post ;

(b) "Examination" means a Competitive Examination for recruitment to the Service held under rule 11 ;

(c) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a Caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India.

(d) "Scheduled Tribes" means any tribes, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India ;

(e) "Service" means the Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class-III Nursing Services.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(a) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I ;

(b) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules ; and

(c) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service. the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods. namely :—

(a) By direct recruitment, on the basis of merit, from amongst the candidates who have polled the prescribed training, and allotted to the appointing authority ;

(b) By promotion of the member of service as specified in column II of Schedule-IV ; and

(c) By transfer of such person, who hold in substantive or officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (I) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the privisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular post or posts in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (I) if in the opinion of the Appointing Authority, exigencies of the service so require, the Appointing Authority may with prior concurrence of the Department, of the Persannel Administrative Reforms and Training Department through Administrative Department, adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in said sub-rule, as the Government may, be order prescribe in this behalf.

7. **Appointment to the Service.**—All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recuitment specified in rule 6.

8. **Condition of Eligibility of Direct Recruitment.**—In order to be eligible to be appointed from allotment or to be selected, after passing the prescribed training. a candidate must satisfy the following condition viz:—

I **Age.**—(a) He must have attained the age as prescribed in column (3) of Schedule III and not attained the age as given in column (4) of Schedule III on the first day of January next following the date of commencement of the selection/appointment.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled caste or a Scheduled Tribe.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate, who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the Project Implementation Committees.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in a temporary Government service of the State or of any of the constituent units; for a continuous period of not less than six months and who was discharged becuase of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

(I) Ex-servicemen released under mustering out concession.

(II) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on :—

(a) Completion of short-term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolement.

(III) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(IV) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers.

(V) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(VI) Ex-servicemen invalidated out of service,

(VII) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(VIII) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.

(d) The general upper age limit for widow candidates shall be 35 years.

(e) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of two years in the case of candidates holding Green cards under the Family Welfare Programme.

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years in the case of a high caste (Savarna) partners of the couples awarded under the Inter Caste Marriage Encouragement Scheme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.

(g) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of five years in the case of sportsmen candidates who have received Vikram Award.

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 38 years in the case of employees working in Madhya Pradesh State Corporations/Boards.

(i) Voluntary Home guards and non-commissioned Officers shall be allowed relaxation in the upper age limit for appointment in Government service equal to the number of years of service rendered by them in the Home Guards subject to the maximum of 8 years provided that after allowing the relaxation Home Guard or non commissioned officer shall not exceed 38 years.

Note.—Candidates who are admitted to the examination selection under the age concessions mentioned in clause (i) SC and (ii) of sub-rule (1) above shall not be eligible for appointment if, ofter sub-mitting the application they resign from service either before or after the examination/selection. They shall however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

In no other case shall these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(ii) **Educational Qualification.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that—

(a) In exceptional cases, the Selection Committee may, treat as qualified a candidate who, though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examinations conducted by others Institutions by a standard which, in the opinion of the Committee justifies, the consideration of the candidate for examination/selection; and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being not specifically recognised by the Government may also be considered for admission to the examination/selection at the discretion of the Selection Committee.

(iii) **Fees.**—Candidates must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification.**—Any attempt on the part or a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Selection Committee to disqualify him for admission to the Examination/Selection.

10. **Selection Committee's Decision About The Eligibility of the Candidates shall be Final.**—The decision of the selection committee as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate to whom a Certificate of Admission has not been issued by the selection committee shall be permitted to appear in the examination or shall be interviewed.

11. **(A) Direct Recruitment by competitive Examination.**—(1) A competative examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as may be determined by the appointing authority from time to time.

(2) 16 per cent. and 20 per cent. of the vacancies available for direct recruitment shall be reserved for the candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(3) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes selected by the Selection Committee for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency Administration may be appointed on the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (2).

(5) If a sufficient number of Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be filled from among the other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the subsequent examinations:

Provided that the total number of vacancies reserved for condidaetes belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed forty-five per cent. of the total vacancies advertised.

11. (B) **Direct Recruitment by Selection.**—(1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may determine.

(2) 16 per cent. and 20 per cent. of the vacancies available for direct recruitment shall be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectivedy.

(3) In filling the vacancies so reserved, the candidates, who are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes selected by the Selection committee for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of Administration may be appointed on the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (2).

(5) If sufficient candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for then, the remaining vacancies shall be filled from among the other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled tribes during the subsequent examination :

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed fortyfive per cent. of the total vacancies advertised.

11 (c) **Direct Recruitment by Allotment of The Candidates Successful in the Training.**—For the purposes of recruitment to the service, selection for training according to the course prescribed by the State Nursing Training Council shall be made once or more every year as decided by the Directorate of Health Services from time to time.

(1) The selection Committee shall consist of the members as specified in Column (6) of Schedule III.

(2) The procedure prescribed for selection shall be in accordance with the Administrative orders which shall be issued from time to time under the authority of the Directorate of Health Services.

(3) Selection, out of the applications or list of names received shall be made according to the order of merit. The Selection Committee shall compulsorily check the original Certificates along with the applications.

(4) The candidates shall be interviewed if necessary but according to the norm prescribed not more than 20 per cent. of the total marks shall be awarded for eligibility for selection.

(5) Direct recruitment of Nurses is to be made only after training. Hence all requirements should be fully complied with at the time of making selection for training, so that compliance of the same may not be required again at the time of the oppointment of the employee, unless any specific reason exists therefor.

(6) 16 per cent. and 20 per cent. of the total seats for training shall be compulsorily reserved for the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(7) In filling the vacancies so reserved, the candidates, who are members of Scheduled Casets and Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) Candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Selected by the Selection Committee for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of Administration may be appointed on the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. as the case may be, under sub-rule (2).

(9) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies resevred for them, the remaining vacancies shall be filled from among the other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes at the subsequent examination ;

Provided that the total number of vacancies so reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed fortyfive per cent. of the total vacancies advertised.

12. **List of Candidates Selected for Appointment.**—(i) The Selection Committee shall forward to the Appointing Authority a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Committee may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who though not qualify by that standard are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of Administration. This list shall also be Published for general information.

(ii) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(iii) The inclusion of a candidate name in the list confer no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(iv) The merit list of the Selected Candidates prepared by the Appointing Authority shall remain valid for a period of one year from the date of issue.

13. **Appointment by Promotion.**—(i) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making selection for promotion of the eligible candidates.

(ii) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(iii) 16 per cent. and 20 per cent. of the available vacancies for promotion to such posts, in which the percentage of promotion is 33⅓ per cent. or more shall be reserved for such employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14.

(iv) Procedure for making promotion to the vacancies reserved shall be in accordance with instructions issued by the Government in the General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who, on the first day of January of that year, had completed such number of years of service whether officiating or substantively on the posts from which the promotin is to be made or on any other post or posts declared by the Government equivalent thereto as specified in column (4) of Scheduled IV and are within the one of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2) ;

Provided that the services of the released officers of Emergency Commission and short service Commission, after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been appointed in the service in accordance with the General Administration Department with memo No. 2266/1987/I/3/67 dated the 21st October 1967. Provided further that no junior pesron shall be considered for select Grade/promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service under this rule.

(2) The Zone of consideration for selection shall ordinarily be limited to seven times the number of employees to be included in the select list in respect of the posts to be filled on the basis of "merit-cum-Seniority" and five times the number of employees to be included in the select list in respect of the posts to be filled on the basis of seniority-cum-merit :

Provided that if the required number of suitable employees are not available in the zone so determined in the required number, the Zone may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee be mentioning the reasons slip in writing.

15. **Preparation of list of suitable Candidates.**—(i) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserved list consisting of 25 per cent. of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforseen vacancies occuring during the course of the aforesaid period.

(ii) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(iii) The names of employees included in the list shall be arranged in order to seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list :

Provided that, any junior employee who, in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher placed than that of employees senior to him.

Explanation.—A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(iv) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(v) If in the process of review or revision, it is proposed to supersede any member of the lower service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select List.**—(i) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the members of the posts as shown in column (2) of Schedule IV to posts as drescribed in column (3) Schedule IV.

(ii) The select list shall ordinarily be inforced until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and the Committee may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the Service from the Select List.**—(i) Appointments of the person included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.

(ii) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of appointing authourity is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision shall be final.

20. **Relaxations.**—Nothing contained in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and quitable :

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Savings.**—Nothing contained in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

BHUPAL SINGH, Dy. Secy.

SCHEDULE—I

(See rule 2 & 5)

CLASSIFICATION SCALE OF PAY AND NUMBER OF POSTS INCLUDED IN SERVICE

S.No.	Name of the post included in the Service	Number of posts	Classification	Pay scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Matron (Matron/Assistant Matron)	54	Class-III	1350—2220	Director of Medical Services
2	(A) Nursing Sister	425	Class-III	1290—2050	do.
	(B) House Keeper	17	Class-III	1290—2050	do.
3	(A) Staff Nurse	1821	Class-III	1200—1840	Divisional Joint Director of Health Services.
	(B) Warden	10			
	(C) Public Health Nurse	2			
	(D) Nursing Supervisor	37			
	(E) Operation Theatre Nurse	48			
	(F) Nursing Orderly	11			
	(G) Lady Health Visitor (G. N. Trained) Carrying Identical scale and appointed before 1-4-81.	290			
4	Lady Health Visitor	212	Class-III (Dying cadre)	975—1650	Dying cadre.
5	Auxilury Nurse Midwife (ANM)	1971	Class-III Dying cadre)	870—1420	
	Nursing Education				
6	Sister Tutor	111	Class-III	1290—2050	Director of Medical Services.
7	Public Health Tutor	150	Class-III	1290—2050	do.

SCHEDULE—II

(See rule 6)

METHOD OF RECRUITMENT

S. No.	Name of the Service	Total No of posts	Percentage of the number of the duty posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See rule-6 (I)]	By promotion of the members of service [See rule 6 (b)]	By temporary transfer of persons from other services [See rule 6(c)(6)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nursing Service					
1	Matron/Asstt. Matron	54	..	100	..	..
2	(a) Nursing Sister	425	5	95	..	Inter Transferable Cadre.
	(b) House Keeper	17	..	..	..	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 (a)	Staff Nurse ..	1821	Appointment on Allotment on merit basis after passing the training.	90	10 ..	Such posts of Lady Health Visitor which carry pay scale as identical to staff-Nurse will not be filled in future.
(b)	Warden	10				
(c)	Public Health Nurse	2				
(d)	Nursing Supervisor	37				
(e)	Operation Theatre Nurse	48				
(f)	Nursing orderly	11				
(g)	Lady Health Visitor (G. N. Trained) Carrying identical scale and appointed before 1-4-1981.	290				
4	Lady Health Visitor ..	212	Dying cadre	These posts have been differently designated in Non-Ministerial Service Recruitment Rules.		
5	Auxilury Nurse Midwife (ANM)	1971	Dying cadre			
	Nursing Education.					
6	Sister Tutor ..	111	10 (By selection)	90	..	..
7	Public Health Tutor ..	150	10 (By selection).	90	..	..

Note.—Generally, General Nursing Trained Nurses are appointed to the post of Staff Nurses. In addition when ANM Trained (2 years course)/ L. H. V. trained (2 years or 10 months course) and Higher Secondary passed candidates will be available in the Department, they shall be promoted to the post of Staff Nurses after they undergo Departmental General Nursing Training of 2½ years or 2 years respectively.

SCHEDULE—III

(See Rule 8)

AGE AND QUALIFICATIONS OF THE PERSONS TO BE APPOINTED BY DIRECT RECRUITMENT

S. No.	Name of Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Required Educational qualifications and training	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Nursing Service	
1 (a)	Nursing Sister	25 years	35 years	Post graduate (M. Sc. Nursing). or Graduate (a) B. Sc. (Nursing) or (b) Post basic B. Sc. Nursing Or	**Directorate level selection Committee selection committee for nursing sister house keeper/ sister tutor / public Health Tutor.** 1. Senior Most Joint Director. or Joint Director Nursing Administration— Chairman.
(b)	House Keeper				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Post Certificate Course in Nursing Administration along with. (1) 5 years service experience on the post of Staff Nurse or equivalent post as per S. No. 3 Schedule-I. (2) Registered Nurse Registered Midwife with M. K. Nursing Council.	2. Deputy Director (Nursing) — Member. 3. Assistant Nursing Advisor. — Member.
2	Sister Tutor ..	25 years	35 years	1. Post graduate .. M. Sc. (Nursing). or Graduate. (a) B. Sc. (Nursing). (b) Post Basic B. Sc. (Nursing). or Post Certificate course of General Tutor along with. (1) 5 years service experience on the post of staff Nurse or equivalent post. (2) Registered Nurse Registered Midwife with M. K. Nursing Council.	do.
3	Public Health Tutor	25 Years	35 Years	1. Post Graduate M. Sc. (Nursing) or 2. Graduate (a) B. Sc. (Nursing) (b) Post Basic B. Sc. (Nursing) or 3. Post Certificate course of Public Health Tutor. Along with (1) 5 years experience on the post of Staff Nurse or Equivalent post. (2) Registered Nurse Registered Midwife with M. K. Nursing Council.	**Directorate Level Selection Committee Selection Committee for Nursing Sister/House keeper/ Sister Tutor/Public Health Tutor.** 1. Senior Most Joint Director or Joint Director Nursing Administration — Chairman 2. Deputy Director (Nursing) — Member 3. Assistant Nursing Advisor. — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Staff Nurse/Warden/ Public Health Nurse Operation Theatre-Nurse/ Nursing Supervisor/ Nursing Orderly.	18 Years	30 Years	1. Graduate (B.Sc. Nursing) or General Nursing and Senior Midwifery trained along with Registered Nurse Registered Midwife with M. K. Nursing Council.	Training prescribed for appointment to the post of Staff Nurse/ Warden/Public Health Nurse/Operation Theatre Nurse/ Nursing Supervisor/ Nursing Orderly. **Selection Committee for General Nursing/ Senior Midwifery Training.** (A) For Teaching Hospital attached Medical Colleges. 1. Professor and Head of the Department of obst. & Gyneo. —Chairman 2. Professor or her Assistant Professor of P. S. M. Department. —Member 3. Senior Sister Tutor or Senior Most Sister Tutor. —Member 4. Nursing Superintendent or Matron. —Member **(B) For District Hospital (Training Centre).** 1. Senior Most District Family Welfare cum Health Officer. —Chairman 2. Superintendent of District Hospital. —Member or 3. Gynaecologist or Senior Sister Tutor or Senior Most Sister Tutor. —Member 4. Nursing Superintendent or Matron. —Member

SCHEDULE-IV

(*See* rule 14)

CHANNEL OF PROMOTION EXPERIENCE QUALIFICATION OF MEMBER OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Required experience and qualifications	Name of the members of the Departmental promotion Committee (See rule-13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Nursing Service		
1	Nursing Sister/ House Keeper.	Matron/Asstt. Matron	5 years	(A) **Directorate Level.**— 1. Senior Most Joint Director Health Services (Headquarters) — Chairman 2. Joint Director of Health Services. — Member (Nursing Administration) (If he is not senior most then other Deputy Director of Health Services Law/Vigilance (Headquarter). shall be the Member. 3. Dy. Director of Health Services (Nursing). — Member 4. Assistant Nursing Advisor. — Member
2	Staff Nurse/Warden/ Public Health Nurse/ Operation Theatre Nurse/Nursing Supervisor/Nursing orderly/Lady Health Visitor (G.N. Trained) Scale-appointed before 1-4-81 in scheme.	Nursing Sister/ House Keeper	5 years	do.
		Nursing Education		
3	Staff Nurse/Warden/ Public Health Nurse/Operation Theatre Nurse/ Nursing Supervision/Lady Health Visitor/Nursing Orderly.	Sister Tutor	5 years. 2.B. Sc. (Nursing) or post Basic B. Sc. (Nursing) or Post Certificate course of Sister Tutor.	do.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. Registered Nurse Registered Midwife with Nursing Council of M. P.	
4	Staff Nurse / Warden/ Public Health Nurse / Operation Theatre Nurse/ Nursing Supervisor/ Nursing Orderly/ Lady Health Visitor.	Public Health Tutor	1. 5 years. 2. B. Sc. (Nursing) Post Basic, B. Sc. (Nursing) or 3. Post Certificate course of Public Health. 4. Registered Nurse Registered Midwife (with M. K. Nursing Council).	
5	Lady Health Visitor/ Auxiliary Nurse cum Midwife (2 years training passed)	Staff Nurse/ Warden Public Health Nurse / Operation Theatre Nurse/ Nursing Supervisor/ Nursing Orderly.	1. 5 years. 2. Departmental Nursing and Midwifery trained. 3. Registered Nurse Registered with M.K. Nursing council.	B. **Division Level Committee** 1. Senior Most Chief Medical & Health Officer of Division—Chairman 2. Senior Most Distt. Family Welfare cum Health Officer—Member 3. Nursing Superintendent or Matron of District Hospital.—Member

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1989.